

**DEPARTMENT OF POSTS**  
**OFFICE OF SUPDT. OF POST OFFICES BASTI DIVISION BASTI-272001**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Online Tenders are invited on behalf of the President of India in two bid system for conveyance of Mails on contract basis by hiring of commercial vehicles from reputed firms/ transporters/ bidders by O/o the Supdt. of Post Offices, Basti Division, Basti, Department of Posts, India for two years. General terms & conditions of the tender, method of submission of tender, amount of Earnest Money/performance security deposit has been mentioned in Annexure-I. The Mail Motor Line over which Contractual mail motor is proposed to be run is given at Annexure-II, which may vary upon the various circumstances. The Performa for submission of tender has been given in Annexure-III for Technical Bid and Annexure-IV for Commercial Bid, Annexure-V for agreement & Annexure-VI for Pre-Contract Integrity Pact to this notice. Both the bids are to be uploaded online at website of Government e Marketplace (<https://gem.gov.in>). The schedule of bid is given as under: -

2. Schedule of Tender: -

Bid No	G/MMC/Basti RMS-Tetari bazar Line/2025-26
Mode of Submission of Bid	Online Mode Only
Estimated cost of Bid Amount	Rs.22,16,808/- (Rs Twenty Two Thousand Sixteen Thousand Eight Hundred Eight Only)
Date of uploading bid on GeM Portal	12.09.2025
Last date & Time for submitting of bids by bidders	07.10.2025 09:00 AM
Earnest Money Deposit	Rs 44336/- (Rupees Forty-four Thousand Three Hundred Thirty-Six Only), [2% of Tender Value]
Date and time of opening of e-Technical bid	07.10.2025 09:30 AM
Cost of Bid Document	Zero
Venue	Office of the SPOs Basti Division, Basti – 272001
Date & time for Pre-Bid Conference	-
Number of vehicles required & Period	01 (One) Vehicle & for 02 (Two) Years

- The response to the tender should be submitted online by bidder on or before ..... at ..... hrs. in electronic format both for technical and financial proposal at the <https://gem.gov.in> using their Digital Signature Certificate. The concerned documents should be scanned and uploaded. Scanned copies of same should also be uploaded along with the technical E- Bid.
- In case any of the bidders fails to physically submit the Demand Draft/Insurance Surety Bond for EMD up to .... hrs. on ..... Hrs in O/o the Supdt. Of Post Offices, Basti Division, Basti, its Bid shall not be accepted.
- Department of Posts will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well in advance.
- Vehicle used for conveyance of mails having Global Positioning System (GPS) enabled facility will be required. Technical specifications are detailed in Annexure-I.
- The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the e Bids.
- Date, Time for Financial Bid opening will be intimated to the technically qualified bidders.

9. The copy of tender may be received from <https://gem.gov.in>
10. Tenders received by any means/ mode other than electronic or online format will not be considered and they will be summarily rejected.

Supdt. Of Post Offices  
Basti Division Basti – 272001

## Annexure –I

### **TERMS & CONDITIONS OF THE CONTRACT FOR CONVEYANCE OF MAILS BY HIRING OF COMMERCIAL PETROL/DIESEL/CNG VEHICLES**

The interested parties must be capable of providing vehicles on their own on the following terms and conditions:

- 1.\* Four-wheeler motor vehicles which are not more than **three years old i.e. the vehicles should have registered on or after September 2022** and have a load carrying capacity of not less than 1000 (One thousand Kilograms) kilograms and not more than 2499 Kilograms, with provision of seating arrangement for traveling of one postal official. There should be provision of sitting arrangement for travelling of 3–4-armed guard escorts whenever required. **Successful bidder should get the body of vehicle fully covered with water-tight metal sheets and provide doors with locking arrangements at rear compartment of the vehicle within 30 days of awarding tender.**
2. The rate for hiring vehicles should be quoted for per kilometer. The distance is to be calculated from the place of reporting to the place of release. The rates of petrol/diesel/CNG etc. run vehicles are to be given separately.
- 2.1 **Estimated value of the tender is Rs. 22,16,808/- (Rs Twenty-Two Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred Eight Only)**
3. The vehicles will run within Basti Postal Division as per time schedule given from the date of signing of the agreement with the application of provisions of Clause 17 of the agreement & the details given in Annexure – II, which may vary depending upon the various circumstances.

#### **Earnest Money:**

#### **4. Bid Security (EMD):**

- (i) **Bid Security of Rs 44,336/- (Rs Forty-Four Thousand Three Hundred Thirty-Six only, 2% of Bid Value)** shall be in the form of Demand Draft/Insurance Surety Bond in favor of The SPOs Basti and original Demand Draft/Insurance Surety Bond should be submitted physically on or before in the O/o Superintendent of Post Offices Basti Division Basti at ..... hrs. on ..... Scanned copy should be uploaded with technical e-bid of their tenders. The bid security is to remain valid for a period of 45 days beyond the final bid validity period. In case the company desires exemption from the Bid Security, they should submit the NSIC are the concerned ministry of department's valid registration certificate and upload scanned copy with the e-Technical Bid.
- (ii) No request for transfer of any previous deposit of Bid Security or payment of any pending bills, if any, held by the Department in respect of any previous contract will be entertained.
- (iii) Bidder shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and conditions thereof. In case the bidder fails to observe and comply with the stipulations made herein or backs out after quoting the rates, the aforesaid amount of Bid Security money will be forfeited by the Government.
- (iv) The tenders without Bid Security will be summarily rejected.

- (v) No claim shall lie against the Government/Department in respect of erosion in the value or interest on the amount of Bid security or Performance security.

#### 5. Performance Security:

The successful bidder will have to deposit Demand Draft/Insurance Surety Bond/cash in any post office under UCR, a sum equal to 3% of the total amount of contract awarded in favor of the Department of Posts towards Performance Security deposit within 7 days from the date of acceptance of the tender and produce the receipt in original to the Supdt. Of Post Offices, Basti Division, Basti. The Security Deposit will not be adjusted against any previous contract held by the Department of the Central Government or Department of Posts. The Performance security Deposit can be forfeited by order of the competent authority in the event of any breach or negligence or non-acceptance of any condition of the contract or for un-satisfactory performance or for non-acceptance of work order. On expiry of the contract, such portion of the said performance Security Deposit as may be considered by the Department of Posts, to recover any incorrect or excess payments made to the firm shall be retained and the balance returned.

6. The online tender must be submitted in two covers, one containing the Technical Bid (in the form given in Annexure – III) along with scanned copy of Demand Draft, and other documents required to be submitted and other containing the BOQ (Price Bid) (in the form given Annexure IV). The forms of tender and a copy of the schedule showing the timings and other details of the service required together with particulars regarding other terms and conditions of the contract and the form in which the bidder will be required to execute the agreement, may be obtained from website <https://gem.gov.in>. E-Tenders must be submitted on <https://gem.gov.in> up to ..... hrs. on ..... **and the electronic tenders will be opened in the office of the Superintendent of Post Offices Basti Division Basti on ..... at ..... Hrs** in the presence of the bidders' who wish to be present at the time of opening of the e-Technical bids. **Along with the technical bid, the bidder has to submit PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT as prescribed by the Govt. of India (Annexure-VI). Bid submitted without the integrity pact shall not be considered.**
- 6.1 **Annual turnover of the bidder for last two financial years should be more than Rs. 34 Lakhs. Bidder should submit scanned copies of Income Tax Returns or Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account for last three financial years (say 2022-23, 2023-24 & 2024-25) along with E- Technical bids.**
- 6.2 **Validity of the Bids: -**  
Bid Life Cycle (From Publish Date) - **90 days**  
Bid Offer Validity (From End Date) - **65 days**  
Time to be allowed to the seller for technical clarifications during technical evaluation. - **15 days**
7. The competent authority reserves the right to reject any or all tender(s) without assigning any reasons.
8. The make and model of the vehicles should be specified separately. Scanned Copies of registration certificate, fitness certificate, and insurance should be uploaded along with E- technical bid. All the vehicles must have a valid road permit to run in the territory of UP Circle.

9. The successful bidder shall have to provide the desired number of vehicles.
10. The bidder should preferably have experience of providing vehicle(s) on hire to at least one government organization/PSU/a prominent private sector entity.
11. The vehicles shall be at the disposal of the Department of Posts for 7 days a week.
12. Contract charges include monthly charges of driver, repairs and maintenance of vehicle, insurance, petrol/diesel/CNG, oil and any other incidental expenses.
13. In the case of any accident, all the claims arising out of it shall be met by the bidder.
14. The vehicle will be kept neat and clean and in perfect running condition.
15. If the vehicle goes out of order, the Bidder shall provide a substitute vehicle immediately. In case vehicle does not report on time/does not report at all, the Department would have a right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred by the Department will be borne by the Bidder.
16. Dedicated vehicles should preferable be GPS enabled. The successful bidder will have the responsibility to get the GPS enable installed and provide the corresponding software as per following specification: -

A) General Requirement: -

- i) Online and real time tracking and monitoring capable of viewing the actual location of mail motor vehicle on a digitized/satellite map multiple vehicles on a single map. (Tenderers should have their own arrangement for providing continual access of digitized/ satellite map to the Department.)
- ii) Web enabled solution to provide information to control room about the status of vehicle on real time basis.
- iii) Land marking of the location of post offices on the digitized / satellite map.
- iv) Real-time two-way communication between vehicles and the control room (this feature is optional at the discretion of the department.)
- v) The software should be capable of integrating with the traffic management software of the department as per requirement.
- vi) Develop customized MIS.

B) Minimum technical parameter of Equipment: -

- i) GSM/GPRS modem.
- ii) Should be able to monitor with any PC with required software.
- iii) Monitoring and online data downloading capability directly from internet.
- iv) Data storage capability for a minimum of 90 days.
- v) Keypad – extendable.

- vi) Voice communication and miss call indicator.
- vii) Built in memory to store the data of 1000 location extendable up to 04 GB memory data.
- viii) Tamper proof – power disconnection alert.
- ix) Built in GPS odometer.
- x) Protection from power surge and electromagnetic interference.
- xi) Backup battery minimum 04 hours.
- xii) Units should have remote vehicle immobilization to stop the vehicle movement at the time of theft or hijack.
- xiii) Storage temperature 35 deg C to + 75 deg C.
- xiv) Unit should have SOS Alert, tamper alert, main power wire disconnection alert/ low battery alert.
- xv) SIM Pin (electronic) locking system to protect from-misuse.
- xvi) Unwanted call barring facility for both incoming and outgoing.
- xvii) The unit should have both GSM/GPS high gain active antenna inbuilt to prevent from possible mishandling or interruption of delegated items.
- xviii) The unit should have a minimum of 12 Channels GPS Antenna receiver.

C) Software Specification and Reports: -

The software of the GPS system should provide a customized solution generating a variety of reports and MIS essentially covering the following functionalities: -

- i) A Comprehensive Activity report including mail schedules as well as vehicle movement.
- ii) Stoppage report of vehicles which will show actual stoppage or detention of the vehicles at various offices. The offices provided with more than one touch of mail schedules at different timings should be shown in the report.
- iii) Speed report of vehicle for the trips.
- iv) Over-speed and over-stoppage report.
- v) Total distance report.
- vi) Land marking of Post offices/Railway Mail Service offices/ Transit Mail offices etc., is required on digital map to exactly locate the vehicle halts, movement between offices etc.
- vii) Provision should be made to enter data to display drivers name, vehicle regn. no., schedule no. / Name, time etc. in vehicle tracking report.
- viii) GPS web enabled software should have interlinked capability to integrate with software provided by the department.
- ix) The software should generate vehicle detention report at various offices indicating date-wise schedule name/ no., name of POs/ RMS/ TMO, schedule arrival departure, actual arrival, departure, detention and generate the drivers log-sheets etc. The vehicles passing near PO / RMS offices should not be shown as attended the offices.
- x) Software should have the provision accept substitute vehicle on the same schedule in case of accident / break down etc.
- xi) Provision of search engine to monitor movement of vehicles on schedule operations with vehicle registration, name of driver, previous and present stage, actual timing is to be made.
- xii) Provision should be made for managing the vehicle fleet of MMS and schedules in this software with edit facility.
- xiii) Route violation report.
- xiv) SMS provision to enable the schedule position.

- xv) GIS GPS should be of a suitable operating system capable of sharing required information to the CSI applications through Web-services as and when required.
- xvi) Software capable of history tracing for a minimum of 90 days.
- xvii) X and Y Geo- coordinate data capture at most precise level of locations to generate report at Address Level, Postal Code Level and Region/State Level.
- xviii) The software should also generate report on Geo Routing requirement like –
  - a) Distance and duration between two locations at the address level of location. b) shortest route determination based on the locations shared with GPS GIS.
  - c) Route determination between various locations/ stops and selection of best route based on distance and traffic conditions.
  - d) Re-Routing functionality in case new locations are added and selection of best route based on distance and traffic conditions.
  - e) Nearest vehicle identification to the broken-down vehicles.
  - f) In case of breakdown of MMS vehicles, information about the nearest MMS vehicles shall be available from the GIS GPS software.

The Department will be at liberty to alter/ modify the reports or number of reports required depending on the actual need once the systems are installed.

- 17. The driver should have valid driving license & the vehicle should be registered with the concerned authorities of Central/State Govt. A certificate to this effect should be provided. The drivers of the vehicle provided must follow traffic rules and other regulations prescribed by the Government from time to time.
- 18. The contract between the Department and the Transport Operators can be cancelled with prior notice of at least 60 days by either party to the contract.
- 19. A penalty of Rs. \* Per day per vehicle will be levied if any vehicle fails to meet the terms & conditions prescribed herein on any day. However, in case of frequent violations of the terms & conditions, the contract can be cancelled forthwith without any notice. In the event of non-completion of any journey or of delay in completion of any journey in accordance with the time table hereinbefore provided and in the event of failure to deliver or take up any postal article or mail bags at any of the places, failure to maintain efficient service to offices prescribed in the schedule of trips, the bidder shall be liable to pay the under mentioned amounts.

S No	For	Amount *
1	Failure to complete any journey	Rs. 15 per km
2	Delay in completing any journey, of not more than one hour	Rs. 8 per km
3	Delay in completing any journey, of more than one hour and not more than two hours	Rs. 10 per km
4	Delay in completing any journey, of more than two hours and not more than three hours	Rs. 11 per km
5	Delay in completing any journey, of more than three hours	Rs. 11.50 per bag
6	Failure to deliver or take up any postal article or mail bags at any station	Rs. 5 per bag
7	Delay in delivery or taking up any postal article or mail bag at any station –	

	First day	Rs. 5 per bag
	Second day	Rs. 6 per bag
	For each subsequent day	Rs. 7 per bag
8	Failure to stop when required at any intermediate station	Rs. 50 per station

PROVIDED ALWAYS that the bidder shall not be liable to pay any such amount under this clause for any such default delay or failure as hereinbefore described if and so far as the same shall have been caused by or be due to closing of the road by the District Board, Public Works Department, or the Police to motor vehicles carrying mails, violence of an army or mob or other irresistible force or robbery or dacoity or an act of God, but the fact that part of the road may become impassable for vehicular traffic shall not relieve the bidder of his liabilities under the contract and in such case notwithstanding anything hereinbefore contained he shall without extra cost to the Government, arrange to convey the postal articles and mail bags by mazdoors or other means where the road is impassable for vehicular traffic and thence in the manner hereinbefore provided.

PROVIDED FURTHER that the liabilities of the bidder to pay the amounts hereinbefore mentioned are without prejudice to the Government's other right to be reimbursed any expenses to which the Government is put to as a consequence of such default and other rights in respect thereof.

PROVIDED ALSO THAT if the bidder makes three such defaults within one month or fails to maintain an efficient motor vehicle service or to perform and observe any of the stipulations, agreements and conditions herein contained (as to which the decision of the said Head of the Circle will be final) or if the bidder becomes insolvent or if a company being wound up except as provided in clause 10 either voluntarily or compulsorily, the authority who has signed this agreement may, by a written notice, forthwith terminate the contract after a decision to terminate the contract is taken by the President of India in addition to or in lieu of any other remedies, and also declare forfeited the whole or any part of the security.

PROVIDED FURTHER that in the event of the contract being terminated under the third proviso of this clause, the said Head of the Circle, may in addition, at his option, take over and use all or any vehicles used by the bidder on such date for any period not exceeding four English calendar months, paying to the bidder for such use any reasonable amount to be determined by the Postmaster General, Basti Region Basti to cover all damages and losses to the vehicles or otherwise during such period.

PROVIDED FURTHER that in the event of the contract being liable to be terminated as aforesaid, the Government may, at its discretion, either terminate the contract or forfeit all the security money without terminating the contract. But any such termination of the contract or forfeiture of security as aforesaid shall be without prejudice to the right of the Government to all other remedies in respect of every failure or default and particularly to the Government's right to recover the full amount of loss or damages which the Government may have sustained even though the amount be in excess of the sum forfeited and the security so forfeited may or may not be taken towards satisfaction of any such loss or damages.

20. The Driver, while performing the duty must be neatly dressed, should wear proper uniform & must carry a mobile phone in working condition, for which, no separate payment shall be made by the Department.
21. The Transport operator and driver shall be bound to carry out the instructions of the Department as well as of the Officers assigned to the vehicle.
22. A daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained in a logbook.

23. Dedicated Vehicles & Drivers must be provided & changes will be allowed only in exceptional circumstances. The vehicle must be available at any time of any day as desired by the Officer concerned.
24. In the event of the award of the contract and prior to execution of the contract, the bidder shall be required to submit copies of the Registration Certificate and comprehensive insurance Policies of the vehicles being offered for hire and particulars with photograph of the drivers dedicated to

each vehicle. He shall also be required to produce the vehicles in the office of the Supdt. of Post Offices, Basti Division, Basti for the physical verification / inspection.

25. **The contract will be effective for two years from the date of signing of contract** unless terminated earlier as per clause No.18 & 19. The contract may be renewed for a further period of one year as mutually agreed upon, subject to satisfactory performance.

26. Terms of payment: -

- (i) The bidder shall submit on or before the 15th day of the succeeding calendar month a bill in respect of such services showing the details of calculation with full particulars and documents in support thereof. The monthly remuneration shall be paid to the bidder(s) within 30 days of the presentation of the bill as aforesaid.
  - (ii) No payment shall be made in advance nor shall any loan from any bank or financial institution be recommended based on the order of award of work.
  - (iii) All payments shall be made by cheque only.
  - (iv) The Department of Posts shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject to recovery of penalties as per clause 18.
  - (iv) The term "payment" mentioned in this para includes all types of payment due to the firm arising on account of this contract excluding Bid Security and Performance Security governed by the separate clauses of the contract.
  - (v) The TDS and other taxes will be recovered from all the bills before making payments as per the rates and instructions prevailing at the time of payment.
27. All disputes, differences and questions arising out of or in any way touching or concerning this agreement or the subject matter thereof or the respective rights duties or liabilities of the parties under or in respect of this agreement (except the decision whereof is hereinbefore otherwise expressly provided for) shall be referred to the sole arbitration of any person appointed by the Chief Postmaster General, UP Circle, or in case his designation is changed or his office is abolished, to the sole arbitration of any person appointed by the officer who for the time being is entrusted, whether or not in addition to other functions, with the functions of the Chief Postmaster General, by whatever designation such officer may be called (hereinafter referred to as the 'said Officer'). There will be no objection to any such appointment that the person appointed is a government servant, that he had to deal with the matters to which this agreement relates and that in the course of his duties as such Government Servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The award of such arbitrator shall be final and binding on the parties to this agreement. It is a term of this agreement that in the event of such arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, the Chief Postmaster General, or the said officer shall appoint another person to act as arbitrator in

accordance with the terms of this agreement. Such persons shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor.

The arbitrator may, from time to time, with the consent of the parties, enlarge the time for making and publishing the award. Subject as aforesaid the Indian arbitration and Reconciliation Act, 1996 shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

Upon every and any reference as aforesaid the assessment of costs incidental to the reference and award respectively shall be in the sole discretion of the sole arbitrator. The venue of the arbitration proceedings will be the office of the Chief Postmaster General at Lucknow or such other place which the sole arbitrator may decide.

Signature of Tenderer

Supdt. Of Post Offices  
Basti Division, Basti - 272001

**Annexure – II**

Schedule of Mail Motor to be run between Basti RMS to Tetari Bazar Line.

(May change depending upon the various circumstances)

Schedule Arrival and departure of mail motor contract

S No No	From	Time	To	Time	Distance in K.M.	Remarks
1.	Basti RMS	0630	Bishunpurwa	0705	26	
2.	Bishunpurwa	0707	Rudranagar	0717	07	
3.	Rudranagar	0719	Bansi SO	0749	23	
4.	Bansi SO	0754	S.Nagar HO	0824	23	
5.	S.Nagar HO	0829	Civil Lines Siddharth Nagar	0832	01	
6.	Civil lines Siddharth Nagar	0835	Naugarh	0840	03	
7.	Naugarh	0842	Birdpur	0857	10	
8.	Birdpur	0900	Sheopatinagar	0910	06	
9.	Sheopatinagar	1520	Birdpur	1530	06	
10.	Birdpur	1533	Naugarh	1548	10	
11.	Naugarh	1550	Civil Lines Siddharth Nagar	1555	03	
12.	Civil Lines Siddharth Nagar	1558	S.Nagar HO	1601	01	
13.	S.Nagar HO	1606	Bansi SO	1636	23	
14.	Bansi SO	1641	Rudranagar	1711	23	
15.	Rudranagar	1713	Bishunpurwa	1723	07	
16.	Bishunpurwa	1725	Basti RMS	1800	26	
Total					198	

Supdt. Of Post Offices  
Basti division Basti 272001

**ANNEXURE-III**  
**TENDER FORM FOR MAIL MOTOR CONTRACT**  
**(TECHNICAL BID)**

To

The President of India  
Through Superintendent,  
Basti Division Basti - 272001

WITH reference to the advertisement published in <https://gem.gov.in>, I thereby offer subject to the conditions hereinafter appearing, the following Technical Bid for conveyance of mail along with one/ two postal officials by motor vehicle(s) of the specifications for a term of Two years.

2. Details of Demand Draft/Insurance Surety Bond in respect of Bid security: -

3. The details of the vehicles offered by me are as follows: -

(i)	Type of vehicle (three-wheeler/four-wheeler)	
(ii)	Make and Model of Vehicle	
(iii)	Year of Manufacture	
(iv)	Registration Nos./Date	
(v)	Type of fuel used	
(vi)	Fitness/ Road worthiness & Insurance validity of the Vehicle.	
(vii)	GPS facility is available or not	

4. I agree to provide name(s) of the existing customer(s) (if any) (list enclosed).
5. I agree that in the event of my e-Technical Bid being considered, I shall produce, on demand, for inspection of vehicle of prescribed specification and a permit from the District/Town authorities to run the service on the line within a week of receipt of communication to this effect.
6. In addition to the above, I agree to maintain 02 (two) spare vehicle(s) to be used in emergencies. I agree to provide vehicle(s) in good working condition.
7. I agree to run the motor vehicle(s) according to the time fixed in the said schedule.
8. If it is found at any time during the currency of the contract that owing to alternations in the schedule of trips (or additional trips being ordered) the average monthly mileage is more or less than the monthly mileage mentioned in Clause 5, I agree to accept or allow a proportionate increase or decrease in the monthly remuneration as the case may require, worked out on the basis of the rate/km agreed to in the agreement.
9. I undertake the liability and responsibility for the safe custody and delivery of mails, etc., entrusted to me for conveyance between one office and another and to pay for the loss, suffered by Department of Posts due to missing of any bag/article in course of their carriage by me.

10. I shall not claim any special facilities, such as free accommodation for a garage or telephone connection etc, other than those provided for in the agreement.
11. I agree to carry free of charge postal officials in charge of mail when required to travel in my contracted vehicles.
12. I agree to carry postal stationery, as part of mails, and stores dispatches by Postal Stock Depot or the offices where such forms and stores are printed or stored, to the Post Offices, Railway and Steamer Stations and Railway Mail Services Offices named in the schedule attached to the agreement and such other places as may be required by the Chief Postmaster General/ Postmaster General/Director Postal Services/ Superintendent of Post Offices/ Superintendent Railway Mail Service/ the Postmaster, and shall not claim any extra remuneration on that account.
13. I am submitting DD/Insurance Surety Bond/Bankers cheque/P.O. ACG-67 receipt for Rs.....(Rupees.....) (the amount equivalent to 2% of the estimated total value of the contract) as bid security That the said sum shall be forfeited to Government if I withdraw my tender or in the event of its acceptance fail to execute the agreement and make the deposit as mentioned in Clause 13 and 15 whereof. I will not claim interest on this sum while it is in your custody. The aforesaid sum shall be returned to me within 30 days if my tender is not accepted. I further agree that in the case my tender is accepted, and I fail to start the service contracted for by the date ..... (fixed by tender inviting authority) my earnest money shall be forfeited and my tender and contract shall be regarded as void, and I will have no claim of any sort upon the Government of India.
14. I agree to have this agreement registered and bear all the expenses in connection therewith covering the charge of stamps etc.
15. I agree if this tender is accepted, to furnish security deposit equivalent to 3% (Three percent) of the total value of the contract in one of the following forms-
  - (a) Post Office certificates at issue price up to the permissible limit transferred to the .....
  - (b) Deposit made in the Post Office Savings Banks up to the permissible limit and pledged to the President of India and the balance, if any, in the form (a) above.
  - (c) Bank Guarantee (for contract of high value) or DD or Insurance Surety Bond. Within seven days from this tender being accepted.
16. I agree not to make any attempt of negotiation direct or indirect with the authority to whom I have submitted the tender or the authority who is competent finally to accept it after I have submitted my tender or to make any endeavor to secure any interest for an actual prospective tender or to influence by any means the acceptance of a particular tender. I agree that if I make any such attempt, it will render my tender liable to exclusion from consideration.
17. If my above tender is accepted, I agree to enter into an agreement on Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/- within two weeks of the acceptance of the tender and deposit the security money equal to 3% of total value of the contract.

18. **I have read all terms and conditions of the tender and I agree with the same.**

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

(Signature) \_\_\_\_\_

Name of bidder \_\_\_\_\_

Address of bidder \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Seal of Bidder

**ANNEXURE-IV  
FORMAT OF TENDER DOCUMENT  
BOQ (PRICE BID)**

**To,**  
**The President of India**  
**Through Supdt. Of Post Offices**  
**Basti Division Basti- 272001**

<b>Tender Inviting Authority:</b> Supdt. Of Post Offices, Basti division, Basti- 272001					
<b>Nature of Work:</b> Contractual Mail Motor Service					
<b>Contract No:</b> - G/MMC/BASTI RMS- TETARI BAZAR LINE/2025-26					
<b>Bidder Name &amp; PAN Number:</b>					
<b>SCHEDULE OF WORKS</b> <b>(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)</b>					
<b>Sl. No.</b>	<b>Description of work</b>	<b>No.</b>	<b>Per KM rate</b>	<b>Per month (25 days) rate for total distance covered in 25 days</b>	<b>Total amount for 24 months in words and figures.</b>
1	Motor vehicle for conveyance of Mail on contract basis as per tender document				
<b>Total in Figures</b>					
<b>Total in Words</b>					

**Name & Signature of the  
Authorized Signatory**

**ANNEXURE – V**

**AGREEMENT**

TO BE EXECUTED BY BIDDERS FOR CONVEYANCE OF MAILS BY MOTOR VEHICLES TO BE USED EXCLUSIVELY FOR THE PURPOSE

THIS AGREEMENT made on the ..... day of ..... BETWEEN  
.....

- (a) A company formed and registered under the Indian companies Act, 1913, having its registered office at..... (hereinafter called the bidder which expression shall include where the context admits their successors and permitted assigns).
- (b) Son of..... carrying on business under the name and style of.....at.....in the town of..... (hereinafter called the bidder which expression shall where the context so admits include his/her heirs, executors, administrators, representatives or permitted assigns:
- (c) All carrying on business in partnership under the firm name and style of ..... at ..... in the town of ..... (hereinafter called the bidder which expression shall include where the context so admits all the partners of the said firm and their respective heirs, executors, administrators or permitted assigns), of the one part, AND the PRESIDENT OF INDIA acting by and through ..... the authorized officer of Ministry of communications and information Technology, Department of Posts (hereinafter referred to as the Government which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context shall mean and include its successors and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS the Bidder has offered to contract with the Government for the transit, conveyance and delivery of all postal articles and mail bags as defined in the Indian Post Office Act, 1898 between..... and\*..... and vice versa from the .....versa from..... to the..... day of .....

\*Here enters the name of the company or the name of the individual or the names of the partners

- a) If the bidder is a company
- b) If the bidder is an individual
- c) If the bidder is a partnership firm and strikes out the alternative not required as hereinafter mentioned and the said Government has accepted such offer upon the terms and conditions hereinafter appearing.

AND WHEREAS it has also been agreed that the bidder should furnish security deposit @ 3% of the total value of the contract as security for the due fulfillment of the said contract in any one of the following forms

- i) Post Office certificates at issue price and pledged to the Chief Postmaster General/ Director Postal Services/ Superintendent, RMS

- ii) Deposits made in the Post Office Savings Bank pledged to the Chief Postmaster General/Postmaster General/Director Postal Services.....Circle/ Superintendent, RMS,
- iii) Bank Guarantee for the said amount/ DD/Insurance Surety Bond (for contract of high value).

And he/she has accordingly prior to the signing of these presents deposited with the Head of the said Postal Circle, an amount of Rs..... by way of.....

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that the said bidder in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises and of the payments hereinafter agreed to be made to him doth covenant with the Government by these presents in the manner following that is to say: -

IT IS HEREBY MUTUALLY AGREED AND DECLARED BY and BETWEEN the parties hereto as follows: -

- 1) The bidder shall, during the continuance of this contract, that is to say, for the period of.....years from the.....day of.....to the.....day of..... or until the said contract shall be terminated by such notice as is hereinafter mentioned or otherwise in due course of law (hereinafter referred to as the said contract period) duly and safely and expeditiously convey daily between the various post offices, Railway stations and aerodromes and places mentioned in the schedule hereunto annexed or any amendment thereof as may be made herein pursuant to the powers in that behalf contained in clause 5 hereof including any schedule substituted therefore (hereinafter referred to as the schedule of trips) by means of suitable motor vehicles as hereinafter provided in clauses 3,8,20, and 22, all Postal articles and mail bags as defined in the Indian Post Office Act 1898, all hereinafter referred to as the Postal articles and mail bags which by the Chief Postmaster General / Postmaster General / Director of Postal Services.....(hereinafter referred to as the said Head of the Circle) /The Supdt. Of Post Offices/ the Superintendent of RMS.....Division, hereinafter referred to as the said Senior Superintendent/the Postmaster/ the Postmasters of any places mentioned in the Schedule of the time being or any other person/persons in that behalf duly authorized, shall be required to be carried and conveyed between the said Railway stations and places as aforesaid to the satisfaction and under the general direction, in all respects, of the said Head of the Circle/the said Superintendent /the said Postmaster, provided that the said Head of the Circle/the said Senior Superintendent/the said Postmaster may by giving eight weeks' notice in writing to the bidder before the expiration of the said contract period, [extend the period of this contract by further period not exceeding twelve months on the same terms and conditions as are contained herein except this condition of renewal.](#)
- 2) The Bidder shall carry Post Office forms and stores dispatched by the Postal stock depot/the office where such forms and stores are printed and stored to the various Post Offices, railway and steamer stations and Railway Mail Service offices named in the Schedule attached to the agreement and such other places as may be required by the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster/the Postmasters of any of the places mentioned in the schedule of trips. Such forms and stores shall be deemed to be postal articles and mail bags for the purpose of this agreement.
- 3) The Bidder shall, for the due performance of this agreement, at his own expenses maintain, keep and provide to the satisfaction and approval of the said Head of the Circle/ the said Superintendent/ the said Postmaster, a sufficient number (to be settled by the said Head of the Circle in case of disagreement

and his decision shall be final) of motor vehicles of good reliable manufacturer of the following types or the type/types that may be specifically indicated by the competent authority.

- i) Three-wheeler delivery vans which are not more than three years old and have a load carrying capacity of not less than 500 kgs with provision of seating arrangement for travelling of one postal official whenever required. The metallic body of the three-wheeler (excluding the driver cabin) should be fully covered with metal and should have doors with locking arrangements.
  - ii) Four-wheeler motor vehicles which are not more than three years old and have a load carrying capacity of not less than 1000 kilograms with provision of seating arrangement for travelling of two Postal officials. There will also be provision of seating arrangement for travelling of..... (number to be specified) armed escorts whenever required. The four sides and the roof of the four-wheeler vehicle should be paneled with completely watertight metallic sheets and should have doors with locking arrangements.
  - iii) Four-wheeler motors which are not more than three-years-old and can carry loads of not less than 2500 kilograms with provision of seating arrangement for travelling of two Postal officials. There will also be the provision of seating arrangement for travelling of..... (number to be specified) armed escorts whenever required. The four sides and the roof of the four-wheeler vehicle should be paneled with completely watertight metallic sheets and should have doors with locking arrangements.
  - iv) Four-wheeler motor vehicles which are not more than four years old and have load carrying capacity of not less than 3500 kilograms with provision of seating arrangement for travelling of two Postal officials. There will also provision of seating arrangement for travelling of ..... (number to be specified) armed escorts whenever required. The four sides and the roof of the four. Wheeler vehicles should be paneled with completely watertight metallic sheets and should have doors with locking arrangements.
  - v) No motor vehicles shall be used by the bidder for the purpose of this agreement until it has been submitted to the said Head of the circle/ the said Divisional Superintendent/ the said Postmaster and its style, power, design manufacture and body and other prescribed specifications have been approved by that officers for use under this agreement and the said Head of the circle / the said Divisional superintendent/ the said postmaster may require it to be painted or otherwise marked as he directs and the bidder shall forth with carry out the work at his expense to the satisfaction of the said Head of the circle/ the said Divisional superintendent / the said postmaster . All such motor vehicles shall be reserved by the bidder for use and shall be used solely and exclusively for the conveyance of the said postal articles and mail bags and postal officials and armed escorts within ..... (Place) and for the performance of this agreement and shall be used for no other purpose.
- 4 The bidder shall during the continuance of the said contract punctually observe the timings mentioned in the schedule of trips for the departure and arrival from and to the various post offices railway stations and places mentioned therein for the various trips stated therein and shall follow the routes respectively prescribed in such schedule for particular trips between the various post offices railway stations and places mentioned in that schedule.
- 5 (a) Government by notice in writing by the said Head of the circle/ the said Superintendent/ the said Postmaster (Gazetted) on behalf of the head of the circle/ regional PMG shall be at liberty at any time or times or from time to time whenever deemed fit to make any alternations in the schedule of

trips or to cancel or alter the schedule of trips or to substitute therefore another schedule and again thereafter to cancel from time to time or alter the said or substitute a new schedule therefore but any such cancellation alteration or substitution purposed shall be made only after one week's prior notice to the bidder except in emergent cases. performed on of the circle/ the said superintendent/ the said postmaster/ the postmaster of any places mentioned in the schedule of trips may also at any time on 3 three hours' notice order in writing extra kilometrage to be run or an extra trip to be performed on any particular day and in the event of an extra trip being ordered he shall also fix the hours of arrival and departure of such additional trip and also specify the type of motor vehicles to be used for the purpose.

b) Government by notice in writing to the bidder by the said Head of the circle/ the said Superintendent/ the said Postmaster/ Gazetted officer on behalf of the head of the circle/ Regional PMG shall be at liberty at any time or times or from time to time whenever deemed fit not to send any mails on Sunday and any other postal holidays and by a like notice to utilize a restricted service on Sunday and other postal holidays.

- 6 The Bidder shall for each trip specified in the schedule of trips during the contract period provide for the carriage of the said postal articles mail bags and postman and in the event of necessity armed escorts in every case such type of motor vehicles as may be deemed necessary and be prescribed for the time being by the said head of the circle/ the said Superintendent/ the said Postmaster having regard to the claimed amount of the said postal articles and mail bags and postman requiring conveyance and shall carry the said postal articles and mail bags irrespective of weight and bulk to the full capacity of the type of the motor vehicles so prescribed to be used for such trip.
- 7 The Bidder shall comply with the instructions of the said Head of the Circle/ the said Superintendent/the said Postmaster/the Postmasters of various Post offices mentioned in the schedule of trips hereunto annexed as to the mode in which the said postal articles and mail bags shall be stored, packed and loaded in, or removed, from the motor vehicles of the bidder.
- 8 The bidder shall be solely responsible for obtaining necessary permits, licenses, etc. from the local authorities or State Governments. The bidder shall bear and pay all rates, taxes including service taxes etc. and fee levied by a local authority or a state government payable in respect of the motor vehicles provided by the bidder for the purposes of this agreement and shall at the bidder's own expense maintain all such motor vehicles and the machinery and all parts thereof clean and in good and proper working order and condition and fit for use and supply all fuel, lubricants, carriage lights, spare parts and other things necessary for the proper running thereof and for the due performance of the purposes of this agreement. All such motor vehicles shall as to their continual condition and fitness for the efficient performance of this agreement be subject, at all times, to the inspection and approval of the said Head of the Circle/the said superintendent/the said postmaster. All vehicles shall be fully repainted towards the end of March or October every year (according as the service is in the hills or in the plains respectively) and be kept otherwise in a presentable condition as required by the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster and at least one spare tyre and a tube be made ready and available for use shall be carried thereon.
- 9 The bidder hereby convinces and declares that no one connected with or in the employment of the Postal Department now has any interest in this contract nor shall any such person ever be admitted as a partner to any interest in this contract. The bidder shall furnish the Government in writing with full particulars of his business and shall also, if so required, furnish the said Head of the Circle/the

said Superintendent/the said postmaster with the name, parentage, age, residence and specimen of signature or thumb mark as the case may be of all the agents and servants whom he proposes to employ for the purposes of this contract before they are so employed and the Government shall be at liberty to forbid the employment of any person whom the said Head of the Circle/the said Superintendent/ the said Postmaster may consider undesirable.

10) This contract shall not, nor any part thereof or any interest therein be transferred by the bidder to any person or persons or to a company or attempted to be so done without the previous consent in writing of the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster being first had and obtained, but the bidder's heirs and representatives shall with the consent in writing of the said Head of the Circle/said Superintendent/the said Postmaster have the right to continue to perform the duties or engagements of the bidder under the contract in case of his death. In the event of the bidder transferring his business and in the event of the bidder being a company being wound up and at any time during the period of this contract for the purpose and with the object of transferring its business to any person, persons or a company, the bidder shall make it one of the terms and stipulations for the contract for transfer of his properties and business to such other person or company that such other person or company shall, provided the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster consents to the same, continue to perform the duties or engagements of the bidder under the contract.

10 (a) If during the subsistence of the contract, the Bidder being a partnership firm, is dissolved or reconstituted due to the death, retirement, insolvency, admission of new partners or otherwise howsoever, the bidders shall forthwith give notice of such dissolution or reconstitution to the ..... (the designation of the appropriate officer to be inserted in the blank spaces) who shall be entitled in his absolute discretion either to terminate the contract without any liability on the part of the Government to compensate the Bidder for any loss or damage in consequence thereof or to continue the same. In the event of the ..... (the designation of the appropriate officer to be inserted in the blank spaces) deciding to continue the contract, the partners of the reconstituted firm shall be bound by the terms and conditions of the contract in all respects and to the same intent and effect, as if they were parties to the contract and such partners shall execute a fresh contract to that effect when called upon by the ..... (the designation of the appropriate officer to be inserted in the blank spaces) to do so.

11) The postal officials detailed for duty shall be entitled to travel free on every motor vehicle employed in carrying the said postal articles and mail bags under this agreement and all reasonable directions given by such postal officials to the driver of such motor vehicles shall be complied with by him and no other passenger shall be carried thereon.

12) The Bidder shall be responsible for all losses and damages caused to Government by fire, collision or accident arising out of the execution of this agreement and for all damages to property or persons or animals caused by any motor vehicle used for the purposes of this agreement whether by reason of negligence or default of the driver or any other person or otherwise and the bidder shall indemnify the Government against all such losses, damages and from the payment of every fine which may be imposed on any driver for driving negligently or at an excessive speed or without proper light or contrary to the traffic directions from time to time given by the Police or to any Railway or Port Trust Rules for the time being in force or otherwise, however, including any claims under the Workmen's Compensation Act.

13) The Bidder shall be solely and absolutely liable and responsible for the due, and safe custody and delivery in good order and condition of all letters, papers, dispatches, packets, parcels, documents, writings, articles and things forming part of the said postal articles and mail bags or any part thereof or of which the same or any part thereof may consist entrusted or delivered to him for carriage, conveyance and delivery under or in pursuance of this contract and for all losses thereof or damages or injuries thereto respectively from the time when such letters, papers, dispatches, packets, parcels, documents, writings, articles and things respectively shall be delivered to him for carriage and conveyance to the time when the same respectively shall be delivered by him to the proper officer of the post office or other authorized person on the termination of their carriage and conveyance from whatsoever cause such losses, damages or injuries shall arise and whether or not the same shall arise from the acts or defaults, criminal or otherwise, of his servants or agents and shall be liable to pay to Government the value of all or any of such letters, papers, dispatches, packets, parcels, documents, writing, articles, and things which may be lost and the amount of damage or injury to all or any thereto which may be damaged or injured between the times aforesaid and the amount of all other losses, damages, costs, charges or expenses whatsoever if any arising from the failure so to deliver the said postal articles and mail bags or any part or portion thereof in such good order and condition and at such times as aforesaid and the certificate of the said Head of the Circle of every amount payable by the bidder under this clause shall be conclusive as to the amount thereof and binding on the bidder.

PROVIDED ALWAYS that the responsibility and liability of the bidder under this clause shall not extend to any loss, damage or injury caused by or resulting from the acts of god, violence of any army, or a mob or other irresistible force or by or from robbery or dacoity by any person or persons not in the employ or under the control of the bidder, AND PROVIDED, however, and not withstanding anything aforesaid that when under orders in writing of the Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster, a Post office official is detailed to accompany any articles to be carried under this agreement, the bidder shall not be liable for any loss thereto while the said official is accompanying the same unless in the opinion of the said Head of the Circle (which shall be final and binding on the bidder) such loss is due to any fault, negligence or criminal action on the part of the bidder or any employee of the bidder.

14) In the event of non-completion of any journey or of delay in completion of any journey in accordance with the time table hereinbefore provided and in the event of failure to deliver or take up any postal article or mail bags at any of the places or offices prescribed in the schedule of trips, failure to maintain efficient service, the bidder shall be liable to pay the under mentioned amounts.

S No	For	Amount
1.	Failure to complete any journey	Rs. 15 per km
2.	Delay in completing any journey, of not more than one hour	Rs. 8 per km
3.	Delay in completing any journey, of more than one hour and not more than two hours.	Rs 10 per km
4.	Delay in completing any journey, of more than two hours and not more than three hours	Rs. 11 per km
5.	Delay in completing any journey, of more than three hours	Rs. 11.50 per bag

6.	Failure to deliver or take up any postal article or mail bags at any station.	Rs. 5 per bag
7.	Delay in delivery or taking up any postal article or mail bag at any station First Day Second Day For each subsequent day	Rs. 5 per bag Rs. 6 per bag Rs. 7 per bag

PROVIDED ALWAYS that the bidder shall not be liable to pay any such amount under this clause for any such default, delay or failure as hereinbefore described if and so far as the same shall have been caused by or be due to closing of the road by the District Board, Public Works Department, or the Police to motor vehicles carrying mails, violence of an army or mob or other irresistible force or robbery or dacoity or an act of God, but the fact that part of the road may become impassable for vehicular traffic shall not relieve the bidder of his liabilities under the contract and in such case notwithstanding anything hereinbefore contained he shall without extra cost to the Government, arrange to convey the postal articles and mail bags by mazdoors or other means where the road is impassable for vehicular traffic and thence in the manner hereinbefore provided.

PROVIDED FURTHER that the liabilities of the bidder to pay the amounts hereinbefore mentioned are without prejudice to the Government's other right to be reimbursed any expenses to which the Government is put to as a consequence of such default and other rights in respect thereof.

PROVIDED ALSO THAT if the bidder makes three such defaults within ..... months or fails to maintain an efficient motor vehicle service or to perform and observe any of the stipulations, agreements and conditions herein contained (as to which the decision of the said Head of the Circle will be final) or if the bidder becomes insolvent or if a company being wound up except as provided in clause 10 either voluntarily or compulsorily, the authority who has signed this agreement may, by a written notice, forthwith terminate the contract after a decision to terminate the contract is taken by the President of India in addition to or in lieu of any other remedies, and also declare forfeited the whole or any part of the security.

PROVIDED FURTHER that in the event of the contract being terminated under the third proviso of this clause, the said Head of the Circle, may in addition, at his option, take over and use all or any vehicles used by the bidder on such date for any period not exceeding four English calendar months, paying to the bidder for such use any reasonable amount to be determined by the Chief Postmaster General, such amount to cover all damages and losses to the vehicles or otherwise during such period.

PROVIDED FURTHER that in the event of the contract being liable to be terminated as aforesaid, the Government may, at its discretion, either terminate the contract or forfeit to the Government the entire security money without terminating the contract. But any such termination of the contract or forfeiture of security as aforesaid shall be without prejudice to the right of the Government to all other remedies in respect of every failure or default and particularly to the Government's right to recover the full amount of loss or damages which the Government may have sustained even though the amount be in excess of the sum forfeited and the security so forfeited may or may not be taken towards satisfaction of any such loss or damages.

15) The said sum of Rs..... deposited as security deposit in any one of the prescribed forms shall be retained by government as security for the due and faithful performance by the bidder of all and

singular the several covenants, conditions and agreements herein contained on his part to be observed or performed with full power to the said Head of the Circle/ the said superintendent/ the said Postmaster for and on behalf of Government. In case the bidder fails to perform, fulfill, keep and observe all or any of the said covenants, conditions or agreements on his part herein contained, the Department will forfeit the amount so deposited or otherwise realize the value of the said security deposit in full or any part thereof with all or any part of the interest which shall have accrued and may accrue thereon towards satisfaction of the amount of all or any damages, and other sums which the said bidder may have become liable to pay hereunder but nevertheless, the interest of the said sum of ..... money or securities received in exchange therefore may in the meantime be paid over to the said Head of the Circle/the said Superintendent/ the said Postmaster if he shall think fit and if the said security depreciates or appropriations are made there from as aforesaid, the bidder hereby undertakes to furnish more security when called upon to make up such deficiency and this contract shall be deemed to be a contract in which the public are interested within the meaning of the exception to Section 74 of the Indian Contract Act 1872.

- 16) The bidder agreed to supply the vehicles as per Rate Chart per vehicle (Exclusive of Service Tax) as under:

S No.	Description	Rate (Rs.)
1.	Per kilometer per vehicle	
2.	No. of vehicles offered	

- 17) The Bidder's monthly remuneration for the work to be done by him under this agreement shall be the sum of Rs..... (rupees.....) for ..... kilometers being run per month to be paid in respect of the services rendered during any calendar month calculated @ Rs..... per km of run. The bidder shall submit on or before the 15th day of the succeeding calendar month a bill in respect of such services showing the details of calculation with full particulars and documents in support thereof. The monthly remuneration shall be paid to the bidder(s) within 30 days of the presentation of the bill as aforesaid.

PROVIDED ALWAYS that after six full calendar months from the date of awarding of the contract if at any time during the subsistence of this contract, if the average price of fuel (including local Government taxes) prevailing at \_\_\_\_ (place) for any of the calendar months in which this contract will be in force, be more or less than the price of fuel (including the local Government taxes) prevailing at \_\_\_\_\_ (place) on the date of issuing of the Notice Inviting Tender (NIT) namely Rs. \_\_\_\_\_ paise \_\_\_\_ per litre (here-in-after referred to as the basic price), the remuneration payable for such month shall be increased or decreased as per the following formula:-

$$\text{Increase/decrease of rate per KM} = \frac{\text{Increase/decrease in fuel price per litre}}{\text{Average Kms per litre of particular vehicle}}$$

$$\text{Average price of fuel} = \frac{\text{Sum of fuel price for each day of the previous month}}{\text{Total no. of days in the month}}$$

**\*In case of the contract being awarded on the first day of the month, that month will be considered as whole calendar month.**

The remuneration payable for such month may be calculated as per the following illustrations:

Example-I	Example-II
NIT Issued: 15.12.2016	NIT issued: 01.07.2017
Contract awarded: 15.01.2017	Contract awarded: 01.09.2017
Fuel price on 15.12.16 (NIT issued date) : Rs. 60.00 per liter (assume)	Fuel price on 01.07.17 (NIT issued date) : Rs. 63.00 per liter (assume)
Average fuel price after six full calendars month (Feb 17 to July 17) from the date of awarding of the contract i.e. month of August 2017 = Rs. 63.00 per liter (assume), this fuel price is average price of fuel of the full calendar month of July 17 and calculated as per the formula mentioned above.	Average fuel price after six full calendars month (Sep 17 to Feb 18) from the date of awarding of the contract i.e. month of March 2018 = Rs. 61.50 per liter (assume), this fuel price is average price of fuel of the full calendar month of February 18 and calculated as per the formula mentioned above.
Increase/decrease in average fuel price per liter (In Rs.): 63.00-60.00 = 3.00 Average Kms per liter of particular vehicle (assume): 8.00	Increase/decrease in average fuel price per liter (In Rs.): 61.50-63.00 = (-) 1.50 Average Kms per liter of particular vehicle (assume): 8.00
Increase/decrease of rate per Km: 3.00 = ----- = 0.375 (in Rs.) 8.00	Increase/decrease of rate per Km: (-) 1.50 = ----- = (-)0.1875 (in Rs.) 8.00

The vehicle will be test checked for recording its average kilometer per litre of fuel before the vehicle is put on schedule operation. However, there will be no change in the rates of extra hours consequent upon increase/decrease in rates of fuel.

The additional amount which may be paid to or claimed against the bidder on this account may be claimed within 90 days by the Government or the bidder as the case may be.

PROVIDED FURTHER that as the said monthly remuneration is based on a Kilometer\*age of ..... kilometers per month being run, if owing to alterations in the schedule of trips or on account of additional trips having been ordered or for any other reason, kilometerage covered or run during any calendar month is more or less than the said kilometerage of ..... kilometers, the monthly remuneration payable to the bidder shall be proportionately increased or decreased as the case may be.

AND PROVIDED FURTHER that in reckoning such kilometer range only distances shall be measured between postal terminals affected by the shortest route unless that route is closed for vehicular traffic, notwithstanding that vehicles may have to travel further and if a vehicle of a lower capacity than that

specified in the schedule of trips or order is used for any reason and as a consequence it has taken more than one trip to move the said postal articles and mail bags only one trip shall be counted for trips which move what a vehicle of the contracted capacity or order could have moved.

PROVIDED ALWAYS that no claim for any increase in the remuneration for any calendar month shall be considered by the Government if the bill for any calendar month is not submitted by the bidder(s) on or before the date herein before mentioned.

PROVIDED ALSO that if during the period of this agreement the costs incurred by the bidder in fulfilling this agreement are increased or decreased as a direct result of the passing of any Act of Legislature, the contracting parties hereto shall respectively be entitled to claim corresponding revision of payment to be made to the bidder under this agreement.

- 18) The Bidder(s) undertake(s) to run the motor vehicles for the purpose of this contract on ..... (type of fuel) and also agrees that in case he uses any motor fuel other than .....(type of fuel) whether under the orders of the Central Government or any State Government or for any reason whatsoever to notify in advance to the said Head of the Circle/ the said Superintendent/the said Postmaster in writing the date from which such other motor fuel would be used, the Government may in its option either immediately terminate this contract or require the bidder(s) to carry out the contract for such period not exceeding a period of six months from the date from which such other fuel is used without claiming any extra remuneration either on account of the increased price of the motor fuel actually used or for any reason whatsoever.
- 19) That without prejudice to any right or remedy that may have accrued to either party by reason of any antecedent breach of any of the provisions herein contained or without prejudice to any claim of any nature whatsoever that the either party may have against the other in pursuance of these presents, this contract may be terminated at any time by either of the parties hereto giving to the other, two calendar months' notice in writing of his intention so to terminate the same.
- 20) Any notice required be given under these presents on the part of the Government shall be deemed to be duly given if signed by the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster /the person for the time being entrusted with the functions, duties and powers of the said Officers respectively and delivered to the Bidder or sent by registered post at his usual or last known place of residence or business and any notice required to be given hereunder on the part of the bidder shall be deemed to be sufficiently given if delivered or sent by registered Post to the office of the Head of the Circle /the Superintendent /the Postmaster.
- 21) The Bidder shall provide duly licensed drivers of the motor vehicles when used for the purpose of this agreement. The bidder shall pay the wages of every such driver. All such drivers shall be deemed to be the servants of the bidder, but they shall obey all orders and directions given to them by duly AUTHORISED postal officials for the purpose of carrying out the services to be performed by the bidder under this agreement. If the said Head of the Circle/the said Superintendent/the said Postmaster shall give notice in writing to the bidder that he has reason to be dissatisfied with the conduct of any driver, the bidder shall forthwith on receiving the complaint supply and substitute in the place of the driver complained of, another driver for the purpose of the contract.
- 22) If the Bidder shall die before the expiration of this contract, the Government may at its option either immediately terminate this contract or require the heirs or authorized representatives of the bidder

to carry out the same for such period not exceeding six calendar months as the Government may require.

- 23) The said Head of the Circle/the said Superintendent /the said Postmaster shall have the right in his absolute discretion to reject temporarily or permanently and require the bidder not to use accordingly any motor vehicle provided or kept by the bidder for the purpose of this agreement which he may consider unfit or unsafe to be employed for the purpose of carrying the said postal articles and mail bags or any such postal official as aforesaid notwithstanding that the same may have previously been approved under any clause hereof and any such rejection by him shall be conclusive and binding upon the bidder and in such events the bidder shall forthwith substitute for such motor vehicles so pronounced unfit and unsafe other fit and safe motor vehicles of the same type, though not necessarily of the same make, but such substituted motor vehicles shall be subject to the submission and approval mentioned in clause 3 hereof.
- 24) During the said contract period, the bidder shall have the right to use on payment of rent at Rs.....paise ..... per month(\*which includes water and electricity charges) as fixed by the Government the plot of land with any building thereon belonging to Government situated in .....as a garage for the motor vehicles employed by the bidder in the performance of the contract and also as a workshop for keeping the said motor vehicles in good working order and shall at the expense of the bidder but nothing in these presents contained shall be construed to give the bidder any legal interest, in over or to the said premises or any part thereof but the bidder shall only have the right to enter upon and utilize the said premises for the purpose of performing this contract and the bidder shall leave and give vacant possession of the said premises in good order on expiration or earlier termination of the contract.
- 25) The Bidder shall keep Government indemnified against all actions, losses, costs, charges, expenses, suits, proceedings, claim and demands arising out of the use by the bidder of the said premises referred to in clause 24 for the purpose therein mentioned and shall fully indemnify government against and compensate Government for all losses or damages to the said or any adjoining premises which shall have been suffered or sustained by Government by any cause whatsoever including fire in any way due to or arising from the exercise by the bidder of his rights and privileges hereby granted or the use of the rights as aforesaid, the amount of the compensation payable to be determined in writing by the Executive Engineer(Civil), Department of Posts, Government of India shall (subject as aforesaid) keep the said premises in tenantable repair and the bidder at expiration of the said contract period shall yield up the said premises in as good state and condition as they were in at the date of bidder's entry thereon together with all fixtures and additions thereto. The bidder shall not do or suffer to be done on the said premises or any part thereof any act or thing which may be or grow to be an annoyance or nuisance or disturbance to the owners and occupiers of any property in the neighborhood. The bidder shall permit Government or its agents or workmen (always including the Executive Engineer (Civil) of the Department or his subordinate officers) to enter the said premises or any portion thereof in order to view the condition thereof.
- 26) Whenever any claim for the payment of a sum of money arises out of, or under this contract against the Bidder, the government shall be entitled to recover such sum by appropriating, in part or whole, the security deposited by the bidder and to sell any Government Promissory notes, etc., forming the whole or part of such security. In the event of the security being insufficient, then the balance or the total sum recoverable, as the case may be, shall be deducted from any sum then due or which at any time thereafter may become due to the bidder under this or any other contract with the

Government in the Postal Department. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable, the bidder shall pay to the Government forthwith on demand and without demur the remaining balance due.

- 27) All disputes, differences and questions arising out of or in any way touching or concerning this agreement or the subject matter thereof or the respective rights duties or liabilities of the parties under or in respect of this agreement (except the decision whereof is hereinbefore otherwise expressly provided for) shall be referred to the sole arbitration of any person appointed by the Chief Postmaster General, ..... Circle, or in case his designation is changed, or his office is abolished, to the sole arbitration of any person appointed by the officer who for the time being is entrusted, whether or not in addition to other functions, with the functions of the Chief Postmaster General, by whatever designation such officer may be called (hereinafter referred to as the 'said Officer'). There will be no objection to any such appointment that the person appointed is a government servant, that he had to deal with the matters to which this agreement relates and that in the course of his duties as such Government Servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The award of such arbitrator shall be final and binding on the parties to this agreement. It is a term of this agreement that in the event of such arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, the Chief Postmaster General, or the said officer shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of this agreement. Such persons shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor.

The arbitrator may, from time to time, with the consent of the parties, enlarge the time for making and publishing the award. Subject as aforesaid the Indian arbitration and Reconciliation Act, 1996 shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

Upon every and any reference as aforesaid the assessment of costs incidental to the reference and award respectively shall be in the sole discretion of the sole arbitrator. The venue of the arbitration proceedings will be the office of the Chief Postmaster General at ..... or such other place which the sole arbitrator may decide.

Signature of Witnesses  
(Name and address in Block Letters)

1.

2.

Signature of bidder  
Full name and address of the person signing  
(in block letters)  
Signing as proprietor/Partner/Constituted  
Attorney/duly Authorized by the company

Signature of Witnesses  
(Name and address in Block Letters)

1.

2.

Name and signature of authorized officer on  
behalf of the President.

LOG SHEET (Appendix-17)

Office of the \_\_\_\_\_

MMS Control Room Tele. No. \_\_\_\_\_

Fleet No. Name of the \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Regn. No. of the Vehicle at Driver Commencement

Mailpeon \_\_\_\_\_

Name of Sch KM reading \_\_\_\_\_ at closing

Uniform Copy of valid PUC Certificate

Yes		
No		

Name of offices of Places to be visited	Actual				Initials of the Mail Exchange clerk with stamp	Bags		Remarks
	Arr		Dep			Received	Dispatch	
	H	M	H	M				
1	2		3		4	5	6	7
							(End of Trip)	

Total Scheduled Mileage

Actual Schedule Mileage done

---

For use in case of non-Sch. Trip & Diversion

---

Authorized Additional Mileage (For Small Trip)  
Actual Additional Mileage

---

Sig. of the Driver

Sig. of Mail Peon

Sig. of the Checking Clerk

Sig. of the Supervisor

## ANNEXURE – VI

### PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

This pre-bid pre-contract Agreement (hereinafter called the Integrity Pact) is made on ..... day of the month ..... of 2024, between on one hand, the President of India acting through Shri ..... , Designation of the officer ..... , Ministry/ Department ..... , Government of India (hereinafter called the "SERVICE USER", which expression shall mean & include unless the context otherwise requires, his successors in office and assigns) of the First Part and M/S ..... represented by Shri ..... , Chief Executive Officer (hereinafter called the "SERVICE PROVIDER/Seller" which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) of the Second Part.

WHEREAS the SERVICE USER proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Item) and the SERVICE PROVIDER/Seller is willing to offer/has offered the stores; and

WHEREAS the SERVICE PROVIDER is a private company/ public company/ Government undertaking/ partnership/ registered export agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the SERVICE USER is a Ministry/Department of the Govt. of India/PSU performing its functions on behalf of the President of India.

NOW, THEREFORE,

To avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the currency of the contract to be entered into with a view to: -

Enabling the SERVICE USER to obtain the desired said stores/equipment at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

Enabling SERVICE PROVIDERS to abstain from bribing or indulging in any corrupt practice in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing and other corrupt practices and the SERVICE USER will commit to prevent corruption, in any form, by its officials by following transparent procedures.

The parties hereto hereby agree to enter into this Integrity Pact and agree as follows: -

#### 1. Commitments of the SERVICE USER

1.1 The SERVICE USER undertakes that no official of the SERVICE USER, connect directly or indirectly with the contract, will demand, take a promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favor or any material or immaterial benefit or any other advantage from the SERVICE PROVIDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the

contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

- 1.2 The SERVICE USER will, during the pre-contract stage, treat all SERVICE PROVIDERs alike, and will provide to all SERVICE PROVIDERs the same information and will not provide any such information to any particular SERVICE PROVIDER which could afford an advantage to that particular SERVICE PROVIDER in comparison to other SERVICE PROVIDERs.
- 1.3 All the officials of the SERVICE USER will report to the appropriate Govt. office any attempted or breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.
2. In case any such preceding misconduct on the part of such officials(s) is reported by the SERVICE PROVIDER to the SERVICE USER will full and verifiable facts and the same is prima facie found to be correct by the SERVICE USER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the SERVICE USER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the SERVICE USER the proceedings under the contract would not be stalled.

### 3. Commitments of SERVICE PROVIDERs

The SERVICE PROVIDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:

-

- 3.1 The SERVICE PROVIDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the SERVICE USER, connected directly or indirectly with the bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation contracting and implementation of the contract.
- 3.2 The SERVICE PROVIDER further undertakes that it has not given, offered promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration reward favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the SERVICE USER or otherwise in procuring the Contract or forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favor or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.
- 3.3\* SERVICE PROVIDERs shall disclose the name and address of agents and representatives and Indian SERVICE PROVIDERs shall disclose their foreign principals or associates.
- 3.4\* SERVICE PROVIDERs shall disclose the payments to be made by them to agents/brokers or any other intermediary, in connection with this bid/contract.
- 3.5\* The SERVICE PROVIDER further confirms and declares to the SERVICE USER that the SERVICE PROVIDER is the original manufacturer/integrator/authorized government sponsored export entity of the defense

stores and had got engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the SERVICE USER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the SERVICE PROVIDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

- 3.6 The SERVICE PROVIDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payments he has made, is committed to or intends to make to officials of the SERVICE USER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.
- 3.7 The SERVICE PROVIDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.
- 3.8 The SERVICE PROVIDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.
- 3.9 The SERVICE PROVIDER shall not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the SERVICE USER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained in any electronic data carrier. The SERVICE PROVIDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.
- 3.10 The SERVICE PROVIDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.
- 3.11 The SERVICE PROVIDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the actions mentioned above.
- 3.12 If the SERVICE PROVIDER or any employees of the SERVICE PROVIDER or any person acting on behalf of the SERVICE PROVIDER, either directly or indirectly, is a relative of any of the officers of the SERVICE USER, or alternatively, if any relative of an officer the SERVICE USER has financial interest/stake in the SERVICE PROVIDER's firm; the same shall be disclosed by the SERVICE PROVIDER at the time of filing of tender. The term 'relative' for this purpose would be as defined in Section 6 of the Companies Act 1956.
- 3.13 The SERVICE PROVIDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the SERVICE USER.

#### 4. Previous Transgression

- 4.1 The SERVICE PROVIDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact, with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify SERVICE PROVIDER's exclusion from the tender process.

4.2 The SERVICE PROVIDER agrees that if it makes an incorrect statement on this subject, SERVICE PROVIDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

#### 5. Earnest Money (Security Deposit)

5.1 While submitting commercial bid, the SERVICE PROVIDER shall deposit an amount \_\_\_\_\_ (to be specified in RFP) as Earnest Money/Security Deposit, with the SERVICE USER through any of the following instruments:

- (i) Bank Draft or a Pay Order in favor of .....
- (ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalized Bank, promising payment of the guaranteed sum to the SERVICE USER on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the SERVICE USER shall be treated as conclusive proof of payment.
- (iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

5.2 The Security Deposit shall be valid up to a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the SERVICE PROVIDER and the SERVICE USER, including warranty period, whichever is later.

5.3 In case of the successful SERVICE PROVIDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for Violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the SERVICE USER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

5.4 No interest shall be payable by the SERVICE USER to the SERVICE PROVIDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

#### 6. Sanction for Violations

6.1 Any breach of the aforesaid provisions by the SERVICE PROVIDER or anyone employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the SERVICE PROVIDER) shall entitle the SERVICE USER to take all or any one of the following actions, wherever required: -

- (i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the SERVICE PROVIDER. However, the proceedings with the other SERVICE PROVIDER(S) would continue.
- (ii) The Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed) shall stand forfeited either fully or partially, as decided by the SERVICE USER and the SERVICE USER shall not be required to assign any reason, therefore.

- (iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the SERVICE PROVIDER.
- (iv) To recover all sums already paid by the SERVICE USER, and in case of an Indian SERVICE PROVIDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of State Bank of India, while in case of a SERVICE PROVIDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the SERVICE PROVIDER from the SERVICE USER in connection with any other contract for any other stores, such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.
- (iv) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the SERVICE PROVIDER, in order to recover the payments, already made by the SERVICE USER, along with interest.
- (v) To cancel all or any other Contracts with the SERVICE PROVIDER. The SERVICE PROVIDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the SERVICE USER resulting from such cancellation/rescission and the SERVICE USER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the SERVICE PROVIDER.
- (vi) To debar the SERVICE PROVIDER from participating in future bidding processes of the Government of India for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the SERVICE USER.
- (vii) To recover all sums paid in violation of this Pact by SERVICE PROVIDER(s) to any middleman or agent or broker with a view to securing the contract.
- (viii) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the SERVICE USER with the SERVICE PROVIDER, the same shall not be opened.
- (ix) Forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the SERVICE USER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.2 The SERVICE USER will be entitled to take all or any of the actions mentioned at para 6.1 (i) to (x) of this Pact also on the Commission by the SERVICE PROVIDER or anyone employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the SERVICE PROVIDER), of an offence as defined in Chapter IX of the Indian Penal code, 1860 or Prevention of Corruption Act, 1988 or any other statute enacted for prevention of corruption.

6.3 The decision of the SERVICE USER to the effect that a breach of the provisions of this Pact has been committed by the SERVICE PROVIDER shall be final and conclusive on the SERVICE PROVIDER. However, the SERVICE PROVIDER can approach the independent Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

## 7. Fall Clause

7.1 The SERVICE PROVIDER undertakes that it has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Ministry/Department of the Government of India or PSU and it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the SERVICE PROVIDER to any other

Ministry/Department of the Government of India or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the SERVICE PROVIDER to the SERVICE USER, if the contract has already been concluded.

## 8. Independent Monitors

- 8.1 The SERVICE USER has appointed independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact in consultation with the Central Vigilance Commission (Names and Addresses of the Monitors to be given).
- 8.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.
- 8.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.
- 8.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings.
- 8.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the SERVICE USER.
- 8.6 The SERVICE PROVIDER(S) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all Project documentation of the SERVICE USER including that provided by the SERVICE PROVIDER. The SERVICE PROVIDER will also grant the Monitor upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to Subcontractors. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the SERVICE PROVIDER/Subcontractor(s) with confidentiality.
- 8.7 The SERVICE USER will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the parties. The parties will offer to the Monitor the option to participate in such meetings.
- 8.8 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of SERVICE USER/Secretary in the Department/ within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the SERVICE USER/SERVICE PROVIDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

## 9. Facilitation of Investigation

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the SERVICE USER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the SERVICE PROVIDER and the SERVICE PROVIDER shall provide necessary information and documents in English and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

## 10. Law and Place of Jurisdiction

This Pact is subject to Indian Law. The place of performance and jurisdiction is the seat of the SERVICE USER.

11. Other Legal Actions

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings.

12. Validity

12.1 The validity of this Integrity Pact shall be from date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the SERVICE USER and the SERVICE PROVIDER/Seller, including warranty period, whichever is later. In case the SERVICE PROVIDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

12.2 Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid, the remainder of this Pact shall remain valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement on their original intentions.

13. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on .....

Service User

Service Provide

Name of the Officer

Designation

Department/MINISTRY/PSU

Chief Executive Officer

Witness

Witness

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Provisions of these Clauses would need to be amended/ deleted in line with the policy of the SERVICE USER in regard to involvement of Indian agents of foreign suppliers

भारतीय डाक विभाग  
कार्यालय अधीक्षक डाकघर बस्ती मंडल बस्ती - 272001

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से डाक विभाग, बस्ती मंडल, बस्ती के डाकघर अधीक्षक कार्यालय द्वारा दो वर्षों के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/ट्रांसपोर्टर्स/बोलीदाताओं से वाणिज्यिक वाहन किराये पर लेकर अनुबंध के आधार पर डाक परिवहन के लिए दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की सामान्य शर्तें, निविदा प्रस्तुत करने की विधि, अर्नेस्ट मनी/प्रदर्शन सुरक्षा जमा की राशि का उल्लेख अनुलग्नक-I में किया गया है। जिस मेल मोटर लाइन पर अनुबंधित मेल मोटर चलाने का प्रस्ताव है, उसका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है, जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। निविदा प्रस्तुत करने का प्रारूप तकनीकी बोली के लिए अनुलग्नक-III और वाणिज्यिक बोली के लिए अनुलग्नक-IV, अनुबंध के लिए अनुलग्नक-V और अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा संधि के लिए अनुलग्नक-VI में दिया गया है। दोनों बोलियों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (<https://gem.gov.in>) की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना है। बोली की अनुसूची निम्नानुसार दी गई है: -

2. निविदा की अनुसूची: -

बोली संख्या	जी/एमएमसी/बस्ती आरएमएस-तेतरी बाज़ार लाइन/2025
बोली प्रस्तुत करने का तरीका	केवल ऑनलाइन मोड
बोली की अनुमानित लागत राशि	रु. 22,16,808/- (बाईस लाख सोलह हजार आठ सौ आठ रुपये मात्र)
जीईएम पोर्टल पर बोली अपलोड करने की तिथि	12.09.2025
बोलीदाताओं द्वारा बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय	07.10.2025 09:00 पूर्वाह्न
बयाना राशि जमा	44336/- (चवालीस हजार तीन सौ छत्तीस रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2%)
ई-तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	07.10.2025 09:30 पूर्वाह्न
बोली दस्तावेज की लागत	शून्य
स्थान	कार्यालय अधीक्षक डाकघर, बस्ती मण्डल बस्ती - 272001
बोली-पूर्व सम्मेलन की तिथि और समय	-
आवश्यक वाहनों की संख्या और अवधि	01 (एक) वाहन और 02 (दो) वर्षों के लिए

3. बोलीदाता द्वारा निविदा की प्रतिक्रिया को .....या उससे पहले .....बजे ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव दोनों के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके <https://gem.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवेदन करना होगा। संबंधित दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया जाना चाहिए। तकनीकी ई-बोली के साथ उनकी स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।

4. यदि कोई भी बोलीदाता ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड को दिनांक .....को.... बजे तक डाकघर अधीक्षक, बस्ती मंडल, बस्ती के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. किसी भी कारण से ऑनलाइन जमा करने में देरी के लिए डाक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे पूरी बोली पहले ही अपलोड कर दें।

6. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सक्षम सुविधा वाले डाक के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन की आवश्यकता होगी। तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

7. खरीद करने वाली संस्था बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी या सभी ई-बोलियों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।

8. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को वित्तीय बोली खोलने की तिथि, समय की सूचना दी जाएगी।

9. निविदा की प्रति <https://gem.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

10. इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन प्रारूप के अलावा किसी भी माध्यम/विधि से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

## अनुलग्नक-1

वाणिज्यिक पेट्रोल/डीजल/सीएनजी वाहनों को किराये पर लेकर डाक परिवहन के लिए अनुबंध की शर्तें

इच्छुक पक्षों को निम्नलिखित शर्तों पर स्वयं वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए:

1. चार पहिया मोटर वाहन जो तीन वर्ष से अधिक पुराने न हों, अर्थात् वाहन सितंबर 2022 को या उसके बाद पंजीकृत होने चाहिए और उनकी भार वहन क्षमता 1000 (एक हजार) किलोग्राम से कम और 2499 (दो हजार चार सौ निन्यानवे) किलोग्राम से अधिक न हो, जिसमें एक डाक अधिकारी के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था हो। आवश्यकता पड़ने पर 3-4 सशस्त्र गार्ड एस्कोर्ट्स के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। सफल बोलीदाता को निविदा देने के 30 दिनों के भीतर वाहन की बॉडी को जलरोधी धातु की चादरों से पूरी तरह ढकवाना होगा तथा वाहन के पिछले डिब्बे में लॉकिंग व्यवस्था के साथ दरवाजे लगवाने होंगे।
2. वाहन किराये पर लेने की दर प्रति किलोमीटर की दर तथा एक माह (25 दिन) में तय की गई दूरी के आधार पर कुल 24 महीनों के लिए उद्धृत की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग के स्थान से रिलीज के स्थान तक की दूरी की गणना की जानी है। पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों की दरें अलग से दी जानी हैं।
  - 2.1 निविदा का अनुमानित मूल्य रु.22,16,808/- (बाईस लाख सोलह हजार आठ सौ आठ रुपये मात्र) है।
3. वाहन समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से दिए गए समय सारिणी के अनुसार बस्ती डाक मंडल के भीतर चलेंगे, जिसमें समझौते के खंड 17 के प्रावधानों तथा अनुलग्नक-11 में दिए गए विवरण लागू होंगे, जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

बयाना राशि:

4. बोली सुरक्षा (ईएमडी):
  - (i) बोली सुरक्षा रु.44336/- (चवालीस हजार तीन सौ छत्तीस रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2%) अधीक्षक डाकघर बस्ती के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड के रूप में होगी तथा मूल डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड को ..... को ..... बजे तक अधीक्षक डाकघर बस्ती संभाग बस्ती के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा। स्कैन की गई प्रति को अपनी निविदाओं की तकनीकी ई-बोली के साथ अपलोड करना होगा। बोली सुरक्षा अंतिम बोली वैधता अवधि से परे 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि कंपनी बोली सुरक्षा से छूट चाहती है, तो उन्हें एनएसआईसी को संबंधित मंत्रालय या विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ई-तकनीकी बोली के साथ स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।
  - (ii) किसी भी पिछले अनुबंध के संबंध में विभाग द्वारा आयोजित किसी भी पिछली जमा बोली सुरक्षा या किसी भी लंबित बिलों के भुगतान के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  - (iii) बोलीदाता को अपना प्रस्ताव वापस लेने या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता यहां की गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या दरें उद्धृत करने के बाद पीछे हट जाता है, तो बोली सुरक्षा राशि की उपरोक्त राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
  - (iv) बोली सुरक्षा के बिना निविदाओं को सर सरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- (v) बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति की राशि पर ब्याज या मूल्य हास के सम्बन्ध में सरकार/विभाग के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

5. निष्पादन प्रतिभूति:

सफल बोली दाता को निविदा की स्वीकृति की तिथि से 7 दिनों के अन्दर डाक विभाग के पक्ष में दिए गए ठेके की कुल राशि के 3% के बराबर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बीमा प्रतिभूति बांड/नकद यूसीआर के अन्तर्गत किसी भी डाकघर में निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करना होगा तथा इसकी मूल रसीद डाक अधीक्षक, बस्ती मण्डल, बस्ती को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति जमा राशि को केन्द्र सरकार के विभाग या डाक विभाग द्वारा धारित किसी भी पूर्व ठेके के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन या लापरवाही या ठेके की किसी शर्त को स्वीकार न करने या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश को स्वीकार न करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त की जा सकती है। अनुबंध की समाप्ति पर, फर्म को किए गए किसी भी गलत या अधिक भुगतान की वसूली के लिए डाक विभाग द्वारा विचार किए जाने वाले उक्त निष्पादन सुरक्षा जमा का ऐसा हिस्सा रख लिया जाएगा और शेष राशि वापस कर दी जाएगी।

6. ऑनलाइन निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, एक में तकनीकी बोली (अनुलग्नक-III में दिए गए प्रपत्र में) के साथ डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति और प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज होंगे और दूसरे में बीओक्यू (मूल्य बोली) (अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र में) होगा। निविदा के प्रपत्र और समय-सारिणी की एक प्रति जिसमें अनुबंध की अन्य शर्तों और शर्तों के साथ-साथ आवश्यक सेवा के अन्य विवरण और जिस प्रपत्र में बोलीदाता को समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, वेबसाइट <https://gem.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदाएं <https://gem.gov.in> पर ..... बजे तक जमा की जानी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक निविदाएं 07.10.2025 को सुबह 09:30 बजे डाकघर अधीक्षक बस्ती मंडल बस्ती के कार्यालय में खोली जाएंगी। ई-तकनीकी बोलियों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में तकनीकी बोली के साथ, बोलीदाता को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व-अनुबंध अखंडता संधि प्रस्तुत करनी होगी (अनुलग्नक-VI)। अखंडता संधि के बिना प्रस्तुत की गई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 6.1 बोलीदाता का पिछले दो वित्तीय वर्षों का वार्षिक कारोबार 34 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। बोलीदाता को ई-तकनीकी बोलियों के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों (जैसे 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के आयकर रिटर्न या ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

6.2 बोलियों की वैधता: -

बोली जीवन चक्र (प्रकाशन तिथि से) - 90 दिन

बोली प्रस्ताव वैधता (अंतिम तिथि से) - 65 दिन

तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए विक्रेता को समय दिया जाएगा। - 15 दिन

7. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. वाहनों का मेक और मॉडल अलग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा की स्कैन की गई प्रतियां ई-तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए। सभी वाहनों के पास यूपी सर्किल के क्षेत्र में चलने के लिए वैध रोड परमिट होना चाहिए।

9. सफल बोलीदाता को वांछित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
10. बोलीदाता को कम से कम एक सरकारी संगठन/पीएसयू/एक प्रमुख निजी क्षेत्र की इकाई को किराए पर वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिए।
11. वाहन सप्ताह में 7 दिन डाक विभाग के अधीन होंगे।
12. अनुबंध शुल्क में चालक का मासिक शुल्क, वाहन की मरम्मत और रखरखाव, बीमा, पेट्रोल/डीजल/सीएनजी, तेल और कोई अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं।
13. किसी दुर्घटना की स्थिति में, उससे उत्पन्न होने वाले सभी दावों का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।
14. वाहन को साफ-सुथरा और पूरी तरह चालू हालत में रखा जाएगा।
15. यदि वाहन खराब हो जाता है, तो बोलीदाता को तुरंत एक वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि वाहन समय पर नहीं आता है/बिल्कुल भी नहीं आता है, तो विभाग को बाजार से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा और विभाग द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
16. समर्पित वाहन अधिमानतः जीपीएस सक्षम होना चाहिए। सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह जीपीएस सक्षम स्थापित करवाए तथा निम्नलिखित विनिर्देश के अनुसार संगत सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए: -
  - A) सामान्य आवश्यकता: -
    - i) एक ही मानचित्र पर एकाधिक वाहनों के डिजिटाइज्ड/सैटेलाइट मानचित्र पर मेल मोटर वाहन के वास्तविक स्थान को देखने में सक्षम ऑनलाइन तथा वास्तविक समय ट्रैकिंग और निगरानी। (निविदाकर्ताओं के पास विभाग को डिजिटाइज्ड/सैटेलाइट मानचित्र की निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था होनी चाहिए।)
    - ii) वास्तविक समय के आधार पर वाहन की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को जानकारी प्रदान करने के लिए वेब सक्षम समाधान।
    - iii) डिजिटाइज्ड/सैटेलाइट मानचित्र पर डाकघरों के स्थान की भूमि चिह्नांकन।
    - iv) वाहनों और नियंत्रण कक्ष के बीच वास्तविक समय दो-तरफ़ा संचार (यह सुविधा विभाग के विवेक पर वैकल्पिक है।)
    - v) सॉफ्टवेयर को आवश्यकतानुसार विभाग के यातायात प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।
    - vi) अनुकूलित एमआईएस विकसित करना।
  - B) उपकरण का न्यूनतम तकनीकी पैरामीटर: -
    - i) जीएसएम/जीपीआरएस मॉडेम।
    - ii) आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी पीसी से निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए।
    - iii) इंटरनेट से सीधे निगरानी और ऑनलाइन डेटा डाउनलोड करने की क्षमता।

- iv) न्यूनतम 90 दिनों के लिए डेटा भंडारण क्षमता।
- v) कीपैड - विस्तार योग्य।
- vi) वॉयस कम्युनिकेशन और मिस कॉल इंडिकेटर।
- vii) 1000 लोकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए बिल्ट इन मेमोरी जिसे 04 जीबी मेमोरी डेटा तक बढ़ाया जा सकता है।
- viii) छेड़छाड़ प्रूफ - पावर डिस्कनेक्शन अलर्ट।
- ix) बिल्ट इन जीपीएस ओडोमीटर।
- x) पावर सर्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सुरक्षा।
- xi) बैकअप बैटरी कम से कम 04 घंटे।
- xii) चोरी या अपहरण के समय वाहन की गति को रोकने के लिए इकाइयों में रिमोट वाहन स्थिरीकरण होना चाहिए।
- xiii) भंडारण तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से + 75 डिग्री सेल्सियस।
- xiv) यूनिट में एसओएस अलर्ट, छेड़छाड़ अलर्ट, मुख्य बिजली तार वियोग अलर्ट/कम बैटरी अलर्ट होना चाहिए।
- xv) दुरुपयोग से बचाने के लिए सिम पिन (इलेक्ट्रॉनिक) लॉकिंग सिस्टम।
- xvi) इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए अवांछित कॉल बैरिंग सुविधा।
- xvii) यूनिट में संभावित गलत संचालन या सौंपे गए आइटमों में बाधा से बचने के लिए GSM/GPS हाई गेन एक्टिव एंटीना इनबिल्ट होना चाहिए।
- xviii) यूनिट में कम से कम 12 चैनल GPS एंटीना रिसेवर होना चाहिए।

c) सॉफ्टवेयर विनिर्देश और रिपोर्ट: -

जीपीएस सिस्टम के सॉफ्टवेयर को एक अनुकूलित समाधान प्रदान करना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और एमआईएस उत्पन्न करता है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित कार्यात्मकताएं शामिल हैं:

- i) मेल शेड्यूल के साथ-साथ वाहन की आवाजाही सहित एक व्यापक गतिविधि रिपोर्ट।
- ii) वाहनों की स्टॉपेज रिपोर्ट जो विभिन्न कार्यालयों में वाहनों के वास्तविक ठहराव या रोके जाने को दर्शाएगी। विभिन्न समय पर मेल शेड्यूल के एक से अधिक टच प्रदान किए गए कार्यालयों को रिपोर्ट में दिखाया जाना चाहिए।
- iii) यात्राओं के लिए वाहन की गति रिपोर्ट।
- iv) ओवर-स्पीड और ओवर-स्टॉपेज रिपोर्ट।
- v) कुल दूरी रिपोर्ट।
- vi) डाकघरों / रेलवे मेल सेवा कार्यालयों / ट्रांजिट मेल कार्यालयों आदि की भूमि को डिजिटल मानचित्र पर चिह्नित करना आवश्यक है, ताकि वाहनों के रुकने, कार्यालयों के बीच आवागमन आदि का सटीक पता लगाया जा सके।
- vii) वाहन ट्रैकिंग रिपोर्ट में चालक का नाम, वाहन पंजीकरण संख्या, अनुसूची संख्या / नाम, समय आदि प्रदर्शित करने के लिए डेटा दर्ज करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- viii) जीपीएस वेब सक्षम सॉफ्टवेयर में विभाग द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने की इंटरलिक क्षमता होनी चाहिए।
- ix) सॉफ्टवेयर को विभिन्न कार्यालयों में वाहन रोके जाने की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसमें तिथिवार अनुसूची नाम / संख्या, पीओ / आरएमएस / टीएमओ का नाम, आगमन प्रस्थान, वास्तविक आगमन, प्रस्थान, रोके जाने का कार्यक्रम दर्शाया गया हो और चालक लॉग-शीट आदि तैयार की गई हो। पीओ / आरएमएस कार्यालयों के पास से गुजरने वाले वाहनों को कार्यालयों में उपस्थित नहीं दिखाया जाना चाहिए।
- x) दुर्घटना/ब्रेक डाउन आदि की स्थिति में सॉफ्टवेयर में उसी शेड्यूल पर वैकल्पिक वाहन स्वीकार करने का प्रावधान होना चाहिए।
- xi) वाहन पंजीकरण, चालक का नाम, पिछली और वर्तमान स्थिति, वास्तविक समय के साथ निर्धारित संचालन पर वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए सर्च इंजन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

- xii) संपादन सुविधा के साथ इस सॉफ्टवेयर में एमएमएस और शेड्यूल के वाहन बेड़े के प्रबंधन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- xiii) रूट उल्लंघन रिपोर्ट
- xiv) शेड्यूल स्थिति को सक्षम करने के लिए एसएमएस प्रावधान
- xv) जीआईएस जीपीएस एक उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो आवश्यकतानुसार वेब-सेवाओं के माध्यम से सीएसआई अनुप्रयोगों को आवश्यक जानकारी साझा करने में सक्षम हो।
- xvi) न्यूनतम 90 दिनों के लिए इतिहास का पता लगाने में सक्षम सॉफ्टवेयर।
- xvii) पता स्तर, डाक कोड स्तर और क्षेत्र/राज्य स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थानों के सबसे सटीक स्तर पर एक्स और वाई जियो-समन्वय डेटा कैप्चर।
- xviii) सॉफ्टवेयर को जियो रूटिंग आवश्यकता पर रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए जैसे –
  - क) स्थान के पते के स्तर पर दो स्थानों के बीच की दूरी और अवधि।
  - ख) जीपीएस जीआईएस के साथ साझा किए गए स्थानों के आधार पर सबसे छोटा मार्ग निर्धारण।
  - ग) विभिन्न स्थानों/स्टॉपों के बीच मार्ग निर्धारण और दूरी और यातायात की स्थिति के आधार पर सर्वोत्तम मार्ग का चयन।
  - घ) नए स्थानों को जोड़ने की स्थिति में पुनः रूटिंग कार्यक्षमता और दूरी और यातायात की स्थिति के आधार पर सर्वोत्तम मार्ग का चयन।
  - ङ) टूटे-फूटे वाहनों के निकटतम वाहन की पहचान।
  - च) एमएमएस वाहनों के टूटने की स्थिति में, निकटतम एमएमएस वाहनों के बारे में जानकारी जीआईएस जीपीएस सॉफ्टवेयर से उपलब्ध होगी।

सिस्टम स्थापित होने के बाद विभाग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर रिपोर्ट या आवश्यक रिपोर्ट की संख्या को बदलने/संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वाहन केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदान किए गए वाहन के चालकों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित यातायात नियमों और अन्य विनियमों का पालन करना चाहिए।
18. विभाग और परिवहन ऑपरेटरों के बीच अनुबंध को अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम 60 दिनों की पूर्व सूचना के साथ रद्द किया जा सकता है।
19. यदि कोई वाहन किसी भी दिन यहां निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रति वाहन प्रति दिन \* रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, नियमों और शर्तों के लगातार उल्लंघन के मामले में, अनुबंध को बिना किसी सूचना के तुरंत रद्द किया जा सकता है। किसी भी यात्रा के पूरा न होने या पूर्व में दी गई समय सारणी के अनुसार किसी भी यात्रा के पूरा होने में देरी होने की स्थिति में और किसी भी स्थान पर कोई डाक वस्तु या मेल बैग वितरित करने या लेने में विफल रहने, यात्रा की अनुसूची में निर्धारित कार्यालयों को कुशल सेवा बनाए रखने में विफल रहने की स्थिति में, बोलीदाता नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्र.सं.	कारण	राशि
1	किसी भी यात्रा को पूरा करने में विफलता	रु. 15 प्रति किमी
2	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं	रु. 8 प्रति किमी
3	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं और दो घंटे से अधिक नहीं	रु. 10 प्रति किमी
4	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, दो घंटे से अधिक नहीं और तीन घंटे से अधिक नहीं	रु. 11 प्रति किमी
5	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, तीन घंटे से अधिक नहीं	रु. 11.50 प्रति बैग
6	किसी भी स्टेशन पर किसी भी डाक वस्तु या मेल बैग को वितरित करने या लेने में विफलता	रु. 5 प्रति बैग
7	किसी भी स्टेशन पर डाक सामग्री या मेल बैग की डिलीवरी या उठाने में देरी - पहला दिन दूसरा दिन प्रत्येक आगामी दिन के लिए	5 रुपये प्रति बैग 6 रुपये प्रति बैग 7 रुपये प्रति बैग
8	किसी भी मध्यवर्ती स्टेशन पर आवश्यकता पड़ने पर न रुकने पर	रु. 50 प्रति स्टेशन

हमेशा यह प्रावधान है कि बोलीदाता इस खंड के अंतर्गत किसी भी ऐसी चूक, विलंब या विफलता के लिए कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जैसा कि पहले वर्णित है, यदि और जहां तक ऐसा हुआ है, तो जिला बोर्ड, लोक निर्माण विभाग या पुलिस द्वारा डाक ले जाने वाले मोटर वाहनों के लिए सड़क बंद करने, सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल या लूट या डकैती या दैवीय कृत्य के कारण हुआ है, लेकिन यह तथ्य कि सड़क का कोई भाग वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य हो सकता है, बोलीदाता को अनुबंध के तहत उसकी देनदारियों से मुक्त नहीं करेगा और ऐसे मामले में, इसमें पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, वह सरकार को अतिरिक्त लागत के बिना, डाक वस्तुओं और मेल बैगों को मजदूरों या अन्य साधनों द्वारा ले जाने की व्यवस्था करेगा, जहां सड़क वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य है और वहां से इसमें पहले दिए गए तरीके से।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि बोलीदाता की पूर्वोक्त राशियों का भुगतान करने की देयताएं सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं, जिसके तहत सरकार को ऐसे चूक के परिणामस्वरूप किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है और उसके संबंध में अन्य अधिकार।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि बोलीदाता एक महीने के भीतर तीन बार ऐसी चूक करता है या कुशल मोटर वाहन सेवा को बनाए रखने में या किसी भी शर्त को पूरा करने और उसका पालन करने में विफल रहता है, इसमें निहित करारों और शर्तों (जिसके बारे में उक्त सर्किल प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा) या यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या यदि कोई कंपनी खंड 10 में दिए गए प्रावधान के अलावा स्वैच्छिक या अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है, तो जिस प्राधिकारी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वह लिखित नोटिस द्वारा, किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त या उसके बदले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के पश्चात अनुबंध को तत्काल समाप्त कर सकता है, तथा प्रतिभूति के पूरे या उसके किसी भाग को जब्त घोषित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि इस खंड के तीसरे प्रावधान के अंतर्गत अनुबंध समाप्त किए जाने की स्थिति में, उक्त सर्किल प्रमुख, इसके अतिरिक्त, अपने विकल्प पर, बोलीदाता द्वारा उपयोग किए गए सभी या किसी वाहन को चार अंग्रेजी कैलेंडर महीनों से अधिक अवधि के लिए अपने अधिकार में ले

सकता है और उपयोग कर सकता है, तथा बोलीदाता को ऐसे उपयोग के लिए पोस्टमास्टर जनरल, बस्ती क्षेत्र बस्ती द्वारा निर्धारित कोई उचित राशि का भुगतान करेगा, जो ऐसी अवधि के दौरान वाहनों को हुए सभी नुकसानों और हानियों या अन्यथा को कवर करेगी।

बशर्ते कि यदि अनुबंध पूर्वोक्त रूप से समाप्त किया जा सकता है, तो सरकार अपने विवेकानुसार अनुबंध को समाप्त कर सकती है या अनुबंध को समाप्त किए बिना सभी सुरक्षा राशि जब्त कर सकती है। लेकिन अनुबंध की ऐसी कोई समाप्ति या पूर्वोक्त रूप से सुरक्षा राशि जब्त किए जाने से सरकार के हर विफलता या चूक के संबंध में सभी अन्य उपायों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और विशेष रूप से सरकार को हुई हानि या क्षति की पूरी राशि वसूलने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही राशि जब्त की गई राशि से अधिक हो और इस प्रकार जब्त की गई सुरक्षा राशि को किसी ऐसी हानि या क्षति की पूर्ति के लिए लिया जा सकता है या नहीं भी लिया जा सकता है।

20. ड्यूटी करते समय चालक को साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, उचित वर्दी पहननी चाहिए और उसके पास चालू हालत में मोबाइल फोन होना चाहिए, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
21. परिवहन संचालक और चालक विभाग के साथ-साथ वाहन को सौंपे गए अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
22. प्रत्येक वाहन के लिए समय और माइलेज दर्शाने वाला दैनिक रिकॉर्ड लॉगबुक में रखा जाएगा।
23. समर्पित वाहन और चालक उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही परिवर्तन की अनुमति होगी। वाहन किसी भी दिन किसी भी समय उपलब्ध होना चाहिए, जैसा कि संबंधित अधिकारी चाहें।
24. अनुबंध दिए जाने की स्थिति में तथा अनुबंध के निष्पादन से पूर्व, बोलीदाता को किराए पर दिए जा रहे वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा व्यापक बीमा पॉलिसियों की प्रतियां तथा प्रत्येक वाहन के लिए समर्पित चालकों की फोटो सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा। उसे भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के लिए डाकघर अधीक्षक, बस्ती मंडल, बस्ती के कार्यालय में वाहन प्रस्तुत करना होगा।
25. अनुबंध अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि खंड संख्या 18 एवं 19 के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए। संतोषजनक निष्पादन के अधीन, पारस्परिक सहमति के अनुसार अनुबंध को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

#### 26. भुगतान की शर्तें: -

- (i) बोलीदाता को ऐसी सेवाओं के संबंध में आगामी कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उससे पहले बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गणना का विवरण, पूर्ण विवरण और उसके समर्थन में दस्तावेज दर्शाए जाएंगे। मासिक पारिश्रमिक बोलीदाता(ओं) को बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
- (ii) कोई भी भुगतान अग्रिम रूप से नहीं किया जाएगा और न ही कार्य सौंपे जाने के आदेश के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लेने की सिफारिश की जाएगी।
- (iii) सभी भुगतान केवल चेक द्वारा किए जाएंगे।

- (iv) डाक विभाग को खंड 18 के अनुसार दंड की वसूली के अधीन किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की स्वतंत्रता होगी।
- (v) इस पैरा में उल्लिखित शब्द "भुगतान" में अनुबंध के अलग-अलग खंडों द्वारा शासित बोली सुरक्षा और प्रदर्शन सुरक्षा को छोड़कर इस अनुबंध के कारण फर्म को देय सभी प्रकार के भुगतान शामिल हैं।
- (vi) भुगतान के समय प्रचलित दरों और निर्देशों के अनुसार भुगतान करने से पहले सभी बिलों से टीडीएस और अन्य करों की वसूली की जाएगी।

27. इस करार या इसकी विषय-वस्तु या इस करार के अधीन या इसके संबंध में पक्षों के संबंधित अधिकार, कर्तव्य या दायित्व से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न (उस निर्णय को छोड़कर जिसके लिए इसके पूर्व अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, यूपी सर्किल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे, या यदि उसका पदनाम बदल दिया जाता है या उसका कार्यालय समाप्त कर दिया जाता है, तो उस अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसे अन्य कार्यों के अतिरिक्त या नहीं, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्य सौंपे गए हैं, चाहे ऐसे अधिकारी को किसी भी पदनाम से बुलाया जाए (इसके बाद 'उक्त अधिकारी' के रूप में संदर्भित)। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति एक सरकारी सेवक है, कि उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे यह करार संबंधित है और कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा इस समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। इस समझौते की यह शर्त है कि यदि ऐसे मध्यस्थ, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, का स्थानांतरण हो जाता है या वह अपना पद छोड़ देता है या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या उक्त अधिकारी इस समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति संदर्भ को उसी चरण से आगे बढ़ाने के हकदार होंगे, जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था।

मध्यस्थ समय-समय पर, पक्षों की सहमति से, निर्णय देने तथा उसे प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है। जैसा कि पूर्वोक्त है, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

जैसा कि पूर्वोक्त है, प्रत्येक संदर्भ पर संदर्भ तथा निर्णय से संबंधित लागतों का आकलन क्रमशः एकमात्र मध्यस्थ के विवेक पर होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान लखनऊ स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे एकमात्र मध्यस्थ तय करे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अधीक्षक डाकघर  
बस्ती मंडल, बस्ती - 272001

## अनुलग्नक-II

बस्ती आरएमएस से तेतरी बाज़ार लाइन के बीच चलाए जाने वाले मेल मोटर का शेड्यूल।  
(विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

मेल मोटर अनुबंध का आगमन और प्रस्थान का शेड्यूल

क्र०सं०	कहाँ	समय	से	समय	दूरी (कि मी)	टिप्पणी
1	बस्ती आरएमएस	0630	बिश्नुपुरवा	0705	26	
2	बिश्नुपुरवा	0707	रुद्रनगर	0717	07	
3	रुद्रनगर	0719	बांसी एसओ	0749	23	
4	बांसी एसओ	0754	सि.नगर एचओ	0824	23	
5	सि.नगर एचओ	0829	सिविल लाइंस सि.नगर एसओ	0832	01	
6	सिविल लाइंस सि.नगर एसओ	0935	नौगढ़	0840	03	
7	नौगढ़	0842	बर्डपुर	0857	10	
8	बर्डपुर	0900	शिवपति नगर	0910	06	
9	शिवपति नगर	1520	बर्डपुर	1530	06	
10	बर्डपुर	1533	नौगढ़	1548	10	
11	नौगढ़	1550	सिविल लाइंस सि.नगर एसओ	1555	03	
12	सिविल लाइंस सि.नगर एसओ	1558	सि.नगर एचओ	1601	01	
13	सि.नगर एचओ	1606	बांसी एसओ	1636	23	
14	बांसी एसओ	1641	रुद्रनगर	1711	23	
15	रुद्रनगर	1713	बिश्नुपुरवा	1723	07	
16	बिश्नुपुरवा	1725	बस्ती आरएमएस	1800	26	
कुल दूरी					198	

अधीक्षक डाकघर  
बस्ती मंडल बस्ती 272001

अनुलग्नक-III  
मेल मोटर अनुबंध हेतु निविदा प्रपत्र  
(तकनीकी बोली)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति  
अधीक्षक के माध्यम से,  
बस्ती मंडल बस्ती - 272001

जेम पोर्टल (<https://gem.gov.in>) में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, मैं, नीचे दी गई शर्तों के अधीन, दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्देशों के अनुसार मोटर वाहन द्वारा एक/दो डाक अधिकारियों के साथ मेल के परिवहन के लिए निम्नलिखित तकनीकी बोली प्रस्तुत करता हूँ।

2. बोली सुरक्षा के संबंध में डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड का विवरण: -

3. मेरे द्वारा पेश किए गए वाहनों का विवरण इस प्रकार है: -

(i)	वाहन का प्रकार (तीन पहिया/चार पहिया)	
(ii)	वाहन का मेक और मॉडल	
(iii)	निर्माण का वर्ष	
(iv)	पंजीकरण संख्या/तारीख	
(v)	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	
(vi)	वाहन की फिटनेस/सड़क योग्यता और बीमा वैधता।	
(vii)	जीपीएस सुविधा उपलब्ध है या नहीं	

4. मैं मौजूदा ग्राहक(ओं) का नाम (यदि कोई हो) (सूची संलग्न) प्रदान करने के लिए सहमत हूँ।

5. मैं सहमत हूँ कि मेरी ई-तकनीकी बोली पर विचार किए जाने की स्थिति में, मैं मांग किए जाने पर, निर्धारित विनिर्देश के वाहन का निरीक्षण और इस आशय की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर लाइन पर सेवा चलाने के लिए जिला/नगर अधिकारियों से परमिट प्रस्तुत करूंगा।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त, मैं आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने हेतु 02 (दो) अतिरिक्त वाहन रखने के लिए सहमत हूँ। मैं वाहन को अच्छी कार्यशील स्थिति में उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ।

7. मैं मोटर वाहन को उक्त अनुसूची में निर्धारित समय के अनुसार चलाने के लिए सहमत हूँ।

8. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि यात्राओं की अनुसूची में परिवर्तन (या अतिरिक्त यात्राओं का आदेश दिए जाने) के कारण औसत मासिक माइलेज खंड 5 में उल्लिखित मासिक माइलेज से अधिक या कम है, तो मैं मासिक पारिश्रमिक में, जैसा भी मामला हो, आनुपातिक वृद्धि या कमी को स्वीकार करने या अनुमति देने के लिए सहमत हूँ, जो अनुबंध में सहमत दर/किमी के आधार पर गणना की जाएगी।

9. मैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच परिवहन के लिए मुझे सौंपे गए डाक आदि की सुरक्षित अभिरक्षा और डिलीवरी के लिए दायित्व और जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरे द्वारा उनके परिवहन के दौरान किसी बैग/वस्तु के खो जाने के कारण डाक विभाग को हुए नुकसान की भरपाई करता हूँ।

10. मैं अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के अलावा किसी विशेष सुविधा, जैसे गैरेज या टेलीफोन कनेक्शन आदि के लिए मुफ्त आवास आदि का दावा नहीं करूंगा।
11. मैं अपने अनुबंधित वाहनों में यात्रा करने के लिए डाक के प्रभारी डाक अधिकारियों को निःशुल्क ले जाने के लिए सहमत हूँ।
12. मैं डाक स्टेशनरी को डाक के भाग के रूप में, तथा डाक स्टॉक डिपो या ऐसे कार्यालयों द्वारा भेजे जाने वाले स्टोर डिस्पैच को, जहां ऐसे फॉर्म और स्टोर मुद्रित या संग्रहीत किए जाते हैं, डाकघरों, रेलवे और स्टीमर स्टेशनों तथा रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में, जिनका नाम अनुबंध में संलग्न अनुसूची में है, तथा ऐसे अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए सहमत हूँ, जहां मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवाएं/अधीक्षक डाकघर/रेलवे मेल सेवा के अधीक्षक/पोस्टमास्टर द्वारा अपेक्षित हो, तथा इस हेतु किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं करूंगा।
13. मैं बोली सुरक्षा के रूप में रू. ....(रू. ....) का डीडी/बीमा जमानत बांड/बैंकर्स चेक/पी.ओ. एसीजी-67 रसीद (अनुबंध के अनुमानित कुल मूल्य के 2% के बराबर राशि) प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मैं अपनी निविदा वापस लेता हूँ या इसकी स्वीकृति की स्थिति में अनुबंध निष्पादित करने में तथा खंड 13 और 15 में उल्लिखित जमा राशि जमा करने में विफल रहता हूँ, तो उक्त राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। मैं इस राशि पर ब्याज का दावा नहीं करूंगा, जब तक यह आपकी अभिरक्षा में है। यदि मेरी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो उपरोक्त राशि मुझे 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, और मैं दिनांक ..... (निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित) तक अनुबंधित सेवा शुरू करने में विफल रहता हूँ, तो मेरी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और मेरी निविदा और अनुबंध को शून्य माना जाएगा, और भारत सरकार पर मेरा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा।
14. मैं इस अनुबंध को पंजीकृत कराने और उससे संबंधित सभी व्ययों को वहन करने के लिए सहमत हूँ, जिसमें स्टॉप आदि का प्रभार शामिल है।
15. मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो अनुबंध के कुल मूल्य के 3% (तीन प्रतिशत) के बराबर सुरक्षा जमा निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रस्तुत करूंगा-
  - (क) डाकघर प्रमाण पत्र जारी मूल्य पर अनुमेय सीमा तक ..... को हस्तांतरित।
  - (ख) डाकघर बचत बैंकों में स्वीकार्य सीमा तक जमा की गई राशि तथा भारत के राष्ट्रपति को गिरवी रखी गई राशि तथा शेष राशि, यदि कोई हो, उपरोक्त (क) प्रपत्र में।
  - (ग) बैंक गारंटी (उच्च मूल्य के अनुबंध के लिए) या डीडी या बीमा जमानत बांड। इस निविदा के स्वीकृत होने के सात दिनों के भीतर।
16. मैं सहमत हूँ कि जिस प्राधिकारी को मैंने निविदा प्रस्तुत की है या जो प्राधिकारी मेरे द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात इसे अंतिम रूप से स्वीकार करने में सक्षम है, उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं करूंगा या किसी वास्तविक संभावित निविदा के लिए कोई हित सुरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा या किसी भी तरह से किसी विशेष निविदा की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करूंगा। मैं सहमत हूँ कि यदि मैं ऐसा कोई प्रयास करता हूँ, तो यह मेरी निविदा को विचार से बाहर कर देगा।

17. यदि मेरी उपरोक्त निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं निविदा की स्वीकृति के दो सप्ताह के भीतर 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौता करने और अनुबंध के कुल मूल्य के 3% के बराबर सुरक्षा राशि जमा करने के लिए सहमत हूँ।

18. मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और मैं उनसे सहमत हूँ।

स्थान: \_\_\_\_\_

(हस्ताक्षर) \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

बोलीदाता का नाम \_\_\_\_\_

बोलीदाता का पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

बोलीदाता की मुहर

## अनुलग्नक-IV

### निविदा दस्तावेज बीओक्यू (मूल्य बोली) का प्रारूप

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

डाकघर अधीक्षक के माध्यम से

बस्ती मंडल बस्ती- 272001

निविदा आमंत्रण प्राधिकारी: डाकघर अधीक्षक, बस्ती मंडल, बस्ती- 272001

कार्य की प्रकृति: संविदात्मक मेल मोटर सेवा

अनुबंध संख्या: - जी/एमएमसी/बस्ती आरएमएस- तेतरी बाज़ार लाइन/2025

बोलीदाता का नाम और उसका पैन नंबर:

कार्यों की अनुसूची (इस बीओक्यू टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और इसे संबंधित कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए, अन्यथा बोलीदाता को इस निविदा के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल बोलीदाता का नाम और मूल्य दर्ज करने की अनुमति है)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	सं.	प्रति किलोमीटर दर	प्रति माह (25 दिन) 25 दिनों में तय की गई कुल दूरी के लिए दर	24 महीनों के लिए कुल राशि शब्दों और अंकों में
	निविदा दस्तावेज के अनुसार अनुबंध के आधार पर मेल के परिवहन के लिए मोटर वाहन				
	कुल राशि अंकों में				
	कुल राशि शब्दों में				

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

## अनुलग्नक - V

### अनुबंध

बोलीदाताओं द्वारा मोटर वाहनों द्वारा डाक के परिवहन के लिए निष्पादित किया जाना है, जिसका उपयोग विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा

यह अनुबंध ..... के दिन ..... के बीच किया गया है

(a) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत गठित और पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर है (इसके बाद बोलीदाता कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ उनके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइन को शामिल करेगा)।

(ख) ..... का पुत्र, जो ..... के नाम और शैली के अंतर्गत ..... के शहर में व्यवसाय कर रहा है (जिसे इसके बाद बोलीदाता कहा जाएगा, जिसमें जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि या अनुमत असाइन शामिल होंगे):

(ग) ..... के नाम और शैली के अंतर्गत ..... के शहर में ..... के फर्म के अंतर्गत साझेदारी में व्यवसाय कर रहा है (जिसे इसके बाद बोलीदाता कहा जाएगा, जिसमें जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उक्त फर्म के सभी साझेदार और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक या अनुमत असाइन शामिल होंगे), एक पक्ष का, और भारत के राष्ट्रपति, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा और उसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिसे इसके बाद सरकार कहा जाएगा, जिसमें जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अपवर्जित या प्रतिकूल न हो, तब तक उसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइन शामिल होंगे)।

जबकि बोलीदाता ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में परिभाषित सभी डाक वस्तुओं और मेल बैगों के पारगमन, परिवहन और वितरण के लिए सरकार के साथ अनुबंध करने की पेशकश की है, जैसा कि ..... और \*..... के बीच और इसके विपरीत ..... से ..... दिन तक .....

\*यहां कंपनी का नाम या व्यक्ति का नाम या भागीदारों के नाम दर्ज किए गए हैं

a) यदि बोलीदाता एक कंपनी है

b) यदि बोलीदाता एक व्यक्ति है

c) यदि बोलीदाता एक साझेदारी फर्म है और इसके बाद उल्लिखित के रूप में आवश्यक नहीं विकल्प को हटा देता है और उक्त सरकार ने इसके बाद दिखाई गई शर्तों और नियमों पर इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

और चूंकि यह भी सहमति हुई है कि बोलीदाता को उक्त अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसी एक रूप में अनुबंध के कुल मूल्य का 3% सुरक्षा जमा प्रस्तुत करना होगा

i) जारी मूल्य पर डाकघर प्रमाण पत्र और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवाएं/अधीक्षक, आरएमएस को गिरवी रखना

ii) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवाएं.....सर्किल/अधीक्षक, आरएमएस को गिरवी रखकर डाकघर बचत बैंक में की गई जमा राशि,

iii) उक्त राशि के लिए बैंक गारंटी/डीडी/बीमा जमानत बांड (उच्च मूल्य के अनुबंध के लिए) ।  
और तदनुसार उसने इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर करने से पहले उक्त डाक सर्किल के प्रमुख के पास  
..... रुपये की राशि जमा कर दी है।

अब यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि उक्त बोलीदाता उक्त समझौते के अनुसरण में तथा परिसर और इसके बाद उसे किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिफल में इन प्रस्तुतियों द्वारा सरकार के साथ निम्नलिखित तरीके से अनुबंध करता है, अर्थात्: - इसके द्वारा दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से निम्न प्रकार से घोषणा की जाती है: -

1) बोलीदाता इस अनुबंध की अवधि के दौरान, अर्थात् .....दिन से .....दिन तक .....वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उक्त अनुबंध को इसके बाद उल्लिखित नोटिस द्वारा या अन्यथा विधि के अनुसार समाप्त नहीं कर दिया जाता है (जिसे इसके बाद उक्त अनुबंध अवधि कहा जाता है) विधिवत् और सुरक्षित रूप से और विभिन्न डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों और इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित स्थानों या इसके किसी संशोधन के बीच दैनिक रूप से शीघ्रता से परिवहन करना, जैसा कि इसके खंड 5 में निहित शक्तियों के अनुसरण में किया जा सकता है, जिसमें इसके बाद प्रतिस्थापित कोई अनुसूची भी शामिल है (इसके बाद यात्राओं की अनुसूची के रूप में संदर्भित) उपयुक्त मोटर वाहनों के माध्यम से जैसा कि इसके बाद खंड 3,8,20 और 22 में प्रदान किया गया है, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में परिभाषित सभी डाक लेख और मेल बैग, जिन्हें इसके बाद डाक लेख और मेल बैग के रूप में संदर्भित किया गया है, जो मुख्य पोस्टमास्टर जनरल / पोस्टमास्टर जनरल / डाक सेवाओं के निदेशक ..... (इसके बाद सर्किल के उक्त प्रमुख के रूप में संदर्भित) / अधीक्षक द्वारा। डाकघरों के अधीक्षक/आरएमएस .....डिवीजन के अधीक्षक, जिन्हें इसके बाद उक्त वरिष्ठ अधीक्षक/डाकपाल/तत्समय अनुसूची में उल्लिखित किसी भी स्थान के डाकपाल या इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को उक्त रेलवे स्टेशनों और पूर्वोक्त स्थानों के बीच उक्त सर्किल प्रमुख/अधीक्षक/डाकपाल की संतुष्टि और सामान्य निर्देश के तहत सभी मामलों में ले जाया और पहुंचाया जाना आवश्यक होगा, बशर्ते कि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त वरिष्ठ अधीक्षक/उक्त डाकपाल उक्त अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले बोली लगाने वाले को लिखित में आठ सप्ताह का नोटिस देकर, नवीनीकरण की इस शर्त को छोड़कर, उन्हीं नियमों और शर्तों पर जो इसमें निहित हैं, इस अनुबंध की अवधि को बारह महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।

2) बोलीदाता डाक स्टॉक डिपो/कार्यालय द्वारा भेजे गए डाकघर प्रपत्रों और भण्डारों को, जहां ऐसे प्रपत्र और भण्डार मुद्रित और भण्डारित किए जाते हैं, अनुबंध से संलग्न अनुसूची में नामित विभिन्न डाकघरों, रेलवे और स्टीमर स्टेशनों और रेलवे मेल सेवा कार्यालयों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर ले जाएगा, जहां उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/यात्रा अनुसूची में उल्लिखित किसी भी स्थान के पोस्टमास्टरों द्वारा अपेक्षित हो। ऐसे प्रपत्र और भण्डार इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए डाक सामग्री और मेल बैग माने जाएंगे।

3) बोलीदाता, इस अनुबंध के समुचित निष्पादन के लिए, अपने स्वयं के व्यय पर, उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की संतुष्टि और अनुमोदन के लिए पर्याप्त संख्या में (असहमति की स्थिति में उक्त सर्किल प्रमुख द्वारा तय किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा) अच्छे विश्वसनीय निर्माता के निम्नलिखित प्रकार के मोटर वाहन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से इंगित किए गए प्रकार/प्रकारों का रख-रखाव, रखरखाव और उपलब्ध कराएगा।

i) तिपहिया डिलीवरी वैन जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी न हो और जिसकी भार वहन क्षमता 500 किलोग्राम से कम न हो तथा जिसमें एक व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। डाक अधिकारी को जब भी आवश्यकता हो, तिपहिया वाहन (ड्राइवर केबिन को छोड़कर) का धातु शरीर पूरी तरह से धातु से ढका होना चाहिए और उसमें ताले की व्यवस्था के साथ दरवाजे होने चाहिए।

- ii) चार पहिया मोटर वाहन जो तीन साल से अधिक पुराने नहीं हैं और जिनकी भार वहन क्षमता 1000 किलोग्राम से कम नहीं है, जिसमें दो डाक अधिकारियों के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था का प्रावधान है। जब भी आवश्यक हो ..... (संख्या निर्दिष्ट की जाए) सशस्त्र अनुरक्षकों की यात्रा के लिए बैठने की व्यवस्था का भी प्रावधान होगा। चार पहिया वाहन के चारों तरफ और छत पूरी तरह से जलरोधी धातु की शीट से बनी होनी चाहिए और उसमें ताले की व्यवस्था के साथ दरवाजे होने चाहिए।
- iii) चार पहिया मोटर जो तीन साल से अधिक पुराने नहीं हैं और 2500 किलोग्राम से कम नहीं भार उठा सकते हैं, जिसमें दो डाक अधिकारियों के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था का प्रावधान चार पहिया वाहन के चारों तरफ और छत पूरी तरह से जलरोधी धातु की चादरों से बनी होनी चाहिए और उसमें ताले लगे होने चाहिए।
- iv) चार पहिया मोटर वाहन जो चार साल से अधिक पुराने न हों और जिनकी भार वहन क्षमता 3500 किलोग्राम से कम न हो, जिसमें दो डाक अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था हो। आवश्यकता पड़ने पर ..... (संख्या निर्दिष्ट की जाए) सशस्त्र अनुरक्षकों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। चार पहिया वाहन के चारों तरफ और छत पूरी तरह से जलरोधी धातु की चादरों से बनी होनी चाहिए और उसमें ताले लगे होने चाहिए।
- v) इस करार के प्रयोजन के लिए बोलीदाता द्वारा किसी मोटर वाहन का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त संभागीय अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है तथा इसकी शैली, शक्ति, डिजाइन, निर्माण और बॉडी तथा अन्य निर्धारित विनिर्देशों को इस करार के अंतर्गत प्रयोग के लिए उन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है तथा उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त संभागीय अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर इसे रंगने या अन्यथा चिह्नित करने की मांग कर सकते हैं जैसा कि वे निर्देश दें तथा बोलीदाता उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त संभागीय अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की संतुष्टि के लिए अपने व्यय पर कार्य को तत्काल पूरा करेगा। ऐसे सभी मोटर वाहन बोलीदाता द्वारा प्रयोग के लिए आरक्षित किए जाएंगे तथा इनका प्रयोग केवल और विशेष रूप से उक्त डाक सामग्री तथा मेल बैगों तथा डाक अधिकारियों और सशस्त्र अनुरक्षकों को ..... (स्थान) के भीतर लाने-ले जाने तथा इस करार के निष्पादन के लिए किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- 4 बोलीदाता उक्त अनुबंध की अवधि के दौरान विभिन्न डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और स्थानों के लिए प्रस्थान और आगमन के लिए यात्रा अनुसूची में उल्लिखित समय का समय पर पालन करेगा और विभिन्न डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और स्थानों के बीच विशेष यात्राओं के लिए क्रमशः ऐसी अनुसूची में निर्धारित मार्गों का अनुसरण करेगा।
- 5(क) सरकार उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर (राजपत्रित) द्वारा सर्किल प्रमुख/क्षेत्रीय पीएमजी की ओर से लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय या समय पर या समय-समय पर जब भी उचित समझा जाए यात्राओं की अनुसूची में कोई परिवर्तन करने या यात्राओं की अनुसूची को रद्द करने या बदलने या उसके स्थान पर कोई अन्य अनुसूची रखने और उसके बाद पुनः समय-समय पर उक्त को रद्द करने या बदलने या उसके स्थान पर कोई नई अनुसूची रखने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ऐसा कोई भी रद्दीकरण, परिवर्तन या प्रतिस्थापन बोलीदाता को आपातकालीन मामलों को छोड़कर एक सप्ताह की पूर्व सूचना के बाद ही किया जाएगा। सर्किल का कोई भी अधिकारी/अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/यात्राओं की अनुसूची में वर्णित किसी भी स्थान का पोस्टमास्टर भी किसी भी समय तीन घंटे के नोटिस पर लिखित रूप में आदेश दे सकता है कि किसी विशेष दिन अतिरिक्त किलोमीटर चलाया जाए या अतिरिक्त यात्रा की जाए और अतिरिक्त यात्रा का आदेश दिए जाने की स्थिति में वह ऐसी अतिरिक्त यात्रा के आगमन और प्रस्थान के घंटे भी तय करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों के प्रकार को भी निर्दिष्ट करेगा।

- ख) सरकार, उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/सर्किल प्रमुख/क्षेत्रीय पीएमजी की ओर से राजपत्रित अधिकारी द्वारा बोली लगाने वाले को लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय या समय-समय पर जब भी उचित समझा जाए, रविवार और किसी अन्य डाक अवकाश पर कोई डाक न भेजने और इसी प्रकार की सूचना द्वारा रविवार और अन्य डाक अवकाश पर प्रतिबंधित सेवा का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- 6 बोली लगाने वाला, अनुबंध अवधि के दौरान यात्राओं की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक यात्रा के लिए उक्त डाक सामग्री, मेल बैग और डाकिया की ढुलाई की व्यवस्था करेगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक मामले में ऐसे प्रकार के मोटर वाहन की व्यवस्था करेगा, जिसे सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर द्वारा आवश्यक समझा जाए और उक्त डाक सामग्री और मेल बैग का दावा की गई राशि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए और डाकिया उक्त यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन के प्रकार की पूरी क्षमता तक उक्त डाक सामग्री और मेल बैग को ले जाएगा, चाहे उनका वजन और भार कुछ भी हो।
- 7 बोलीदाता उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/विभिन्न डाकघरों के पोस्टमास्टरों के अनुदेशों का पालन करेगा, जिनका उल्लेख संलग्न यात्राओं की अनुसूची में किया गया है, कि किस प्रकार उक्त डाक सामग्री और मेल बैग को बोलीदाता के मोटर वाहनों में संग्रहीत, पैक और लोड किया जाएगा या निकाला जाएगा।
- 8 बोलीदाता स्थानीय प्राधिकारियों या राज्य सरकारों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। बोलीदाता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए मोटर वाहनों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सभी दरों, करों सहित सेवा कर आदि और शुल्क का वहन करेगा और भुगतान करेगा तथा बोलीदाता अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सभी मोटर वाहनों और मशीनरी और उनके सभी भागों को साफ और अच्छी और उचित कार्यशील स्थिति में और उपयोग के लिए उपयुक्त बनाए रखेगा और उनके उचित संचालन और इस समझौते के प्रयोजनों के समुचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी ईंधन, स्नेहक, गाड़ी की लाइट, स्पेयर पार्ट्स और अन्य चीजें प्रदान करेगा। ऐसे सभी मोटर वाहन अपनी निरंतर स्थिति और इस अनुबंध के कुशल निष्पादन के लिए उपयुक्तता के संबंध में हर समय उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर के निरीक्षण और अनुमोदन के अधीन होंगे। सभी वाहनों को हर साल मार्च या अक्टूबर के अंत में पूरी तरह से रंग दिया जाएगा (जैसा कि सेवा क्रमशः पहाड़ियों या मैदानों में है) और उन्हें अन्यथा उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर द्वारा अपेक्षित रूप से प्रस्तुत करने योग्य स्थिति में रखा जाएगा और उनमें कम से कम एक अतिरिक्त टायर और एक ट्यूब उपयोग के लिए तैयार और उपलब्ध रखा जाएगा।
- 9 बोलीदाता इस प्रकार आश्वस्त करता है और घोषणा करता है कि डाक विभाग से जुड़े या उसके रोजगार में अब किसी का भी इस अनुबंध में कोई हित नहीं है और न ही ऐसे किसी व्यक्ति को इस अनुबंध में किसी भी हित के लिए भागीदार के रूप में कभी भी स्वीकार किया जाएगा। बोलीदाता सरकार को अपने व्यवसाय का पूर्ण विवरण लिखित रूप में देगा तथा यदि अपेक्षित हो तो वह इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए जिन एजेंटों और सेवकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनके नाम, माता-पिता, आयु, निवास तथा हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का नमूना भी सरकार को लिखित रूप में देगा, इससे पहले कि उन्हें इस प्रकार नियुक्त किया जाए तथा सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने से मना कर सकती है जिसे उक्त सर्किल प्रमुख/अधीक्षक/डाकपाल अवांछनीय मानते हों।
- 10) यह अनुबंध, न तो इसका कोई भाग या इसमें कोई हित बोलीदाता द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा या ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा, जब तक कि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की पूर्व लिखित

सहमति पहले न ले ली गई हो, लेकिन बोलीदाता के उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की लिखित सहमति से उसकी मृत्यु की स्थिति में अनुबंध के तहत बोलीदाता के कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करना जारी रखने का अधिकार होगा। बोलीदाता द्वारा अपना व्यवसाय हस्तांतरित करने की स्थिति में तथा बोलीदाता द्वारा कंपनी का परिसमापन किए जाने की स्थिति में तथा इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों या कंपनी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से, बोलीदाता अपनी संपत्तियों और व्यवसाय को ऐसे अन्य व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करने के अनुबंध के लिए यह एक शर्त और नियम बनाएगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी, बशर्ते कि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर इसके लिए सहमति दे, अनुबंध के तहत बोलीदाता के कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करना जारी रखेगी।

- 10(क) यदि अनुबंध के अस्तित्व के दौरान, बोलीदाता, जो साझेदारी फर्म है, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, दिवालियापन, नए साझेदारों के प्रवेश या किसी अन्य कारण से विघटित या पुनर्गठित होती है, तो बोलीदाता ऐसे विघटन या पुनर्गठन की सूचना तत्काल ..... (रिक्त स्थानों में उपयुक्त अधिकारी का पदनाम डाला जाएगा) को देंगे, जो अपने पूर्ण विवेक से या तो अनुबंध को समाप्त करने के हकदार होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाता को किसी नुकसान या क्षति के लिए सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं होगा या उसे जारी रखेंगे। ..... (रिक्त स्थानों में उपयुक्त अधिकारी का पदनाम डाला जाएगा) द्वारा अनुबंध जारी रखने का निर्णय लेने की स्थिति में, पुनर्गठित फर्म के साझेदार सभी मामलों में अनुबंध की शर्तों और नियमों से उसी आशय और प्रभाव से बंधे होंगे, जैसे कि वे अनुबंध के पक्षकार थे और ऐसे साझेदार ..... (रिक्त स्थानों में उपयुक्त अधिकारी का पदनाम डाला जाएगा) द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उस आशय का एक नया अनुबंध निष्पादित करेंगे।
- 11) ड्यूटी के लिए नियुक्त डाक अधिकारी इस करार के तहत उक्त डाक सामग्री और मेल बैग ले जाने में नियोजित प्रत्येक मोटर वाहन पर मुफ्त यात्रा करने के हकदार होंगे और ऐसे डाक अधिकारियों द्वारा ऐसे मोटर वाहन के चालक को दिए गए सभी उचित निर्देशों का उसके द्वारा अनुपालन किया जाएगा और उस पर कोई अन्य यात्री नहीं ले जाया जाएगा।
- 12) बोलीदाता इस करार के निष्पादन से उत्पन्न आग, टक्कर या दुर्घटना से सरकार को होने वाली सभी हानियों और क्षतियों के लिए जिम्मेदार होगा और इस करार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी मोटर वाहन द्वारा संपत्ति या व्यक्तियों या पशुओं को होने वाली सभी क्षतियों के लिए, चाहे वह चालक या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही या चूक के कारण हुई हो या अन्यथा, जिम्मेदार होगा और बोलीदाता सरकार को ऐसी सभी हानियों, क्षतियों और प्रत्येक जुर्माने के भुगतान से मुआवजा देगा जो किसी भी चालक पर लापरवाही से या अत्यधिक गति से या उचित रोशनी के बिना या पुलिस द्वारा समय-समय पर दिए गए यातायात निर्देशों या किसी रेलवे या पोर्ट ट्रस्ट नियमों के विपरीत या अन्यथा, हालांकि, श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत किसी भी दावे सहित, वाहन चलाने के लिए लगाया जा सकता है।
- 13) बोलीदाता सभी पत्रों, कागजों, प्रेषणों, पैकेटों, पार्सलों, दस्तावेजों, लेखों, वस्तुओं और चीजों की उचित और सुरक्षित अभिरक्षा तथा अच्छी स्थिति में डिलीवरी के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा, जो उक्त डाक वस्तुओं और मेल बैगों का हिस्सा हैं या उनका कोई हिस्सा हैं या जिनमें से वही या उनका कोई हिस्सा इस अनुबंध के तहत या इसके अनुसरण में परिवहन, वहन और डिलीवरी के लिए उसे सौंपा गया है या दिया गया है और उनमें होने वाली सभी हानियों या क्षतियों या चोटों के लिए क्रमशः उस समय से जब ऐसे पत्र, कागजों, प्रेषणों, पैकेटों, पार्सलों, दस्तावेजों, लेखों, वस्तुओं और चीजों को क्रमशः उस समय तक जब उन्हें क्रमशः डाकघर के उचित अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति को उनके परिवहन और वहन की समाप्ति पर सौंप दिया जाएगा, चाहे ऐसी हानियां, क्षतियां या चोटें किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हों और चाहे वे उसके कर्मचारियों या एजेंटों के आपराधिक या अन्य कृत्यों या चूकों से उत्पन्न हुई हों या नहीं और वह सरकार को ऐसी सभी या किसी की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पत्र, कागज, प्रेषण, पैकेट, पार्सल,

दस्तावेज, लेखन, लेख और चीजें जो खो सकती हैं और उन सभी या किसी को हुई क्षति या क्षति की राशि जो पूर्वोक्त समय के बीच क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त हो सकती है और अन्य सभी हानि, क्षति, लागत, शुल्क या व्यय की राशि, जो कि उक्त डाक सामग्री और मेल बैग या उनके किसी भाग या भाग को ऐसे अच्छे क्रम में वितरित करने में विफलता से उत्पन्न होती है और शर्त और पूर्वोक्त समय पर तथा इस खंड के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा देय प्रत्येक राशि के बारे में सर्किल के उक्त प्रमुख का प्रमाण पत्र, उस राशि के संबंध में निर्णायक होगा तथा बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत बोलीदाता की जिम्मेदारी और दायित्व दैवीय कृत्यों, किसी सेना की हिंसा, या भीड़ या अन्य अदम्य बल या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गई लूट या डकैती से हुई किसी हानि, क्षति या चोट तक विस्तारित नहीं होगी जो बोलीदाता के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है, और बशर्ते कि, तथा पूर्वोक्त किसी बात के होते हुए भी, जब सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर के लिखित आदेशों के अंतर्गत, किसी डाकघर के अधिकारी को इस करार के अंतर्गत ले जाए जाने वाले किसी सामान के साथ जाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो बोलीदाता उस समय किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब उक्त अधिकारी उसके साथ हो, जब तक कि सर्किल प्रमुख की राय में (जो बोलीदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगी) ऐसा नुकसान बोलीदाता या बोलीदाता के किसी कर्मचारी की ओर से किसी गलती, लापरवाही या आपराधिक कार्रवाई के कारण न हुआ हो। 14) किसी यात्रा के पूरा न होने या पूर्व में निर्धारित समय सारणी के अनुसार किसी यात्रा के पूरा होने में देरी होने की स्थिति में और यात्रा कार्यक्रम में निर्धारित किसी भी स्थान या कार्यालय पर कोई डाक सामग्री या मेल बैग पहुंचाने या लेने में विफल रहने, कुशल सेवा बनाए रखने में विफल रहने की स्थिति में बोलीदाता नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्र.सं.	कारण	राशि
1	किसी भी यात्रा को पूरा करने में विफलता	रु. 15 प्रति किमी
2	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं	रु. 8 प्रति किमी
3	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं और दो घंटे से अधिक नहीं।	रु. 10 प्रति किमी
4	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, दो घंटे से अधिक नहीं और तीन घंटे से अधिक नहीं।	रु. 11 प्रति किमी
5	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, तीन घंटे से अधिक नहीं।	रु. 11.50 प्रति बैग
6	किसी भी स्टेशन पर किसी भी डाक सामग्री या मेल बैग को वितरित या लेने में विफलता।	रु. 5 रुपये प्रति बैग
7	किसी भी स्टेशन पर किसी भी डाक सामग्री या मेल बैग की डिलीवरी या उठाने में देरी पहला दिन दूसरा दिन प्रत्येक आगामी दिन के लिए	रु 5 प्रति बैग रु 6 प्रति बैग रु. 7 प्रति बैग

हमेशा यह प्रावधान है कि बोलीदाता इस खंड के अंतर्गत किसी भी ऐसी चूक, देरी या विफलता के लिए कोई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जैसा कि पहले वर्णित है, यदि और जहां तक वह जिला बोर्ड, लोक निर्माण विभाग या पुलिस द्वारा डाक ले जाने वाले मोटर वाहनों के लिए सड़क बंद करने, सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल या लूट या डकैती या दैवीय कृत्य के कारण हुआ हो, लेकिन यह तथ्य कि सड़क का हिस्सा वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य हो सकता है, बोलीदाता को अनुबंध के तहत उसकी देनदारियों से मुक्त नहीं करेगा और ऐसे मामले में, इसमें पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, वह सरकार को अतिरिक्त लागत के बिना, डाक वस्तुओं और मेल बैगों को मजदूरों या अन्य साधनों द्वारा ले जाने की व्यवस्था करेगा, जहां सड़क वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य है और वहां से इसमें पहले दिए गए तरीके से।

बशर्ते कि बोलीदाता की पूर्वोक्त राशियों का भुगतान करने की देयताएं सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी, जिसके अंतर्गत सरकार को ऐसे चूक के परिणामस्वरूप किसी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और उसके संबंध में अन्य अधिकार होंगे। यह भी प्रावधान है कि यदि बोलीदाता ..... महीनों के भीतर तीन बार ऐसी चूक करता है या कुशल मोटर वाहन सेवा बनाए रखने में या इसमें निहित किसी भी शर्त, समझौते और शर्तों को पूरा करने और उनका पालन करने में विफल रहता है (जिसके बारे में उक्त सर्किल प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा) या यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या यदि कोई कंपनी खंड 10 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है, तो जिस प्राधिकारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह लिखित नोटिस द्वारा, किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त या उसके बदले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के बाद अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकता है, और सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को जब्त करने की घोषणा भी कर सकता है। आगे यह भी प्रावधान है कि इस खंड के तीसरे परंतुक के अंतर्गत अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, उक्त सर्किल प्रमुख, इसके अतिरिक्त, अपनी इच्छा से, बोलीदाता द्वारा ऐसी तिथि को उपयोग किए गए सभी या किसी वाहन को चार अंग्रेजी कैलेंडर महीनों से अधिक अवधि के लिए अपने अधिकार में ले सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, तथा बोलीदाता को ऐसे उपयोग के लिए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई भी उचित राशि का भुगतान कर सकता है, जो ऐसी अवधि के दौरान वाहनों को हुए सभी नुकसानों और हानियों या अन्यथा को कवर करने के लिए होगी।

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि अनुबंध पूर्वोक्त रूप से समाप्त किए जाने योग्य है, तो सरकार अपने विवेक से अनुबंध को समाप्त कर सकती है या अनुबंध को समाप्त किए बिना पूरी सुरक्षा राशि सरकार को जब्त कर सकती है। लेकिन अनुबंध की ऐसी समाप्ति या पूर्वोक्त प्रतिभूति की जब्ती, प्रत्येक विफलता या चूक के संबंध में सभी अन्य उपायों के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और विशेष रूप से सरकार को हुई हानि या क्षति की पूरी राशि वसूलने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, भले ही वह राशि जब्त की गई राशि से अधिक हो और इस प्रकार जब्त की गई प्रतिभूति को किसी ऐसी हानि या क्षति की पूर्ति के लिए लिया जा सकता है या नहीं भी लिया जा सकता है।

- 15) किसी भी एक निर्धारित प्रपत्र में प्रतिभूति जमा के रूप में जमा की गई उक्त राशि ..... रुपये बोली लगाने वाले द्वारा सभी और विलक्षण अनेक वचनों, शर्तों और समझौतों का उचित और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखी जाएगी, जिनका पालन या पालन उसकी ओर से उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर को सरकार के लिए और उसकी ओर से पूर्ण शक्ति के साथ किया जाना है। यदि बोलीदाता अपनी ओर से इसमें निहित सभी या किसी भी अनुबंध, शर्तों या समझौतों को पूरा करने, रखने और पालन करने में विफल रहता है, तो विभाग इस प्रकार जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा या अन्यथा उक्त सुरक्षा जमा का मूल्य पूरी तरह से या उसके किसी भी हिस्से के साथ ब्याज के सभी या किसी भी हिस्से के साथ वसूल करेगा जो कि सभी या किसी भी नुकसान की राशि की संतुष्टि के लिए अर्जित होगा और हो सकता है, और अन्य राशियां जो उक्त बोलीदाता इसके तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन फिर भी, उक्त राशि का ब्याज ..... धन या इसके बदले में प्राप्त प्रतिभूतियों को इस बीच सर्किल के प्रमुख / उक्त अधीक्षक / उक्त पोस्टमास्टर को भुगतान किया जा सकता है यदि वह ठीक समझे और यदि उक्त सुरक्षा मूल्यहास करती है या उसमें से पूर्वोक्त अनुसार विनियोजन किया जाता है, तो बोलीदाता ऐसी कमी को पूरा करने के लिए मांगे जाने पर अधिक सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है 1872.
- 16) बोलीदाता ने प्रति वाहन दर चार्ट (सेवा कर को छोड़कर) के अनुसार वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र०सं०	विवरण	दर (रु.)
1	प्रति किलोमीटर प्रति वाहन	
2	पेश किए गए वाहनों की संख्या	

- 17) इस समझौते के तहत बोलीदाता द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए उसका मासिक पारिश्रमिक रु. .... (रु. ....) होगा, जो किसी भी कैलेंडर माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में रु. .... प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। बोलीदाता को अगले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा। कैलेंडर माह में ऐसी सेवाओं के संबंध में बिल जिसमें पूर्ण विवरण और उसके समर्थन में दस्तावेजों के साथ गणना का विवरण दर्शाया गया हो। मासिक पारिश्रमिक बोलीदाता(ओं) को बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। बशर्ते कि अनुबंध दिए जाने की तिथि से छह पूर्ण कैलेंडर महीनों के पश्चात यदि इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान किसी भी समय, यदि किसी कैलेंडर महीने के लिए \_\_\_\_ (स्थान) पर प्रचलित ईंधन (स्थानीय सरकार करों सहित) का औसत मूल्य, जिसमें यह अनुबंध लागू होगा, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने की तिथि को \_\_\_\_ (स्थान) पर प्रचलित ईंधन (स्थानीय सरकार करों सहित) के मूल्य से अधिक या कम हो, अर्थात् \_\_\_\_ पैसे \_\_\_\_ प्रति लीटर (जिसे इसके पश्चात मूल मूल्य कहा जाएगा), ऐसे महीने के लिए देय पारिश्रमिक निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा:-

$$\text{प्रति किलोमीटर दर में वृद्धि/कमी} = \frac{\text{प्रति लीटर ईंधन मूल्य में वृद्धि/कमी}}{\text{उसी वाहन का प्रति लीटर औसत किलोमीटर}}$$

$$\text{ईंधन का औसत मूल्य} = \frac{\text{पिछले महीने के प्रत्येक दिन के लिए ईंधन मूल्य का योग}}{\text{एक महीने में कुल दिनों की संख्या}}$$

वाहन को निर्धारित परिचालन पर लाने से पहले ईंधन पर प्रति लीटर औसत किलोमीटर दर्ज करने के लिए वाहन की जांच की जाएगी। हालांकि, ईंधन की दरों में वृद्धि/कमी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त घंटों की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

इस खाते पर बोलीदाता को भुगतान की जाने वाली या उसके विरुद्ध दावा की जाने वाली अतिरिक्त राशि का दावा सरकार या बोलीदाता द्वारा 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है।

इसके अलावा, चूंकि उक्त मासिक पारिश्रमिक प्रति माह ..... किलोमीटर की दूरी पर आधारित है, यदि यात्राओं के कार्यक्रम में परिवर्तन के कारण या अतिरिक्त यात्राओं के आदेश के कारण या किसी अन्य कारण से, किसी कैलेंडर माह के दौरान कवर या चलाया गया किलोमीटर उक्त ..... किलोमीटर की दूरी से अधिक या कम है, तो बोलीदाता को देय मासिक पारिश्रमिक मामले के अनुसार अनुपातिक रूप से बढ़ाया या घटाया जाएगा।

और यह भी प्रावधान है कि ऐसे किलोमीटर रेंज की गणना करते समय केवल सबसे छोटे मार्ग से प्रभावित डाक टर्मिनलों के बीच की दूरी मापी जाएगी, जब तक कि वह मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद न हो, भले ही वाहनों को अधिक दूरी तय करनी पड़े और यदि किसी कारण से यात्राओं या आदेश की अनुसूची में निर्दिष्ट क्षमता से कम क्षमता वाले वाहन का उपयोग किया जाता है और परिणामस्वरूप उक्त डाक वस्तुओं और मेल बैगों को ले जाने में एक से अधिक यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो केवल एक यात्रा को उन यात्राओं के लिए गिना जाएगा, जो अनुबंधित क्षमता या आदेश के वाहन द्वारा ले जाई जा सकने वाली दूरी को ले जाती हैं।

यह प्रावधान हमेशा किया जाता है कि किसी भी कैलेंडर माह के लिए पारिश्रमिक में किसी भी वृद्धि के लिए कोई दावा सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, यदि किसी कैलेंडर माह के लिए बिल बोलीदाता(ओं) द्वारा यहां पहले उल्लिखित तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि यदि इस अनुबंध की अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा इस अनुबंध को पूरा करने में किए गए खर्च विधानमंडल के किसी अधिनियम के पारित होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो अनुबंध करने वाले पक्ष क्रमशः इस अनुबंध के तहत बोलीदाता को किए जाने वाले भुगतान के अनुरूप संशोधन का दावा करने के हकदार होंगे।

- 18) बोलीदाता इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए मोटर वाहनों को ..... (ईंधन का प्रकार) पर चलाने का वचन देता है और यह भी सहमत होता है कि यदि वह ..... (ईंधन का प्रकार) के अलावा किसी अन्य मोटर ईंधन का उपयोग करता है, चाहे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश के तहत सरकार या किसी भी कारण से उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर को लिखित रूप में वह तारीख पहले से अधिसूचित करने के लिए बाध्य करती है, जिससे ऐसे अन्य मोटर ईंधन का उपयोग किया जाएगा, सरकार अपने विकल्प में या तो इस अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकती है या बोली लगाने वाले(ओं) को ऐसी अवधि के लिए अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता कर सकती है, जो उस तारीख से छह महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी, जिससे वास्तव में उपयोग किए गए मोटर ईंधन की बढ़ी हुई कीमत के कारण या किसी भी कारण से कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा किए बिना।
- 19) कि किसी भी अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो किसी भी पक्ष को यहां निहित प्रावधानों के किसी भी पूर्ववर्ती उल्लंघन के कारण प्राप्त हो सकता है या किसी भी प्रकृति के किसी भी दावे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो किसी भी पक्ष के पास इन प्रस्तुतियों के अनुसरण में दूसरे के खिलाफ हो सकता है, इस अनुबंध को किसी भी समय दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को, इसे समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में दो कैलेंडर महीने की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। 20) सरकार की ओर से इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत दी जाने वाली कोई भी सूचना, यदि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त डाकपाल/उक्त अधिकारियों के कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों को उस समय सौंपे गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा बोलीदाता को उसके सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय स्थान पर पहुंचा दी जाए या पंजीकृत डाक द्वारा भेज दी जाए, तो विधिवत दी गई मानी जाएगी और बोलीदाता की ओर से इसके अंतर्गत दी जाने वाली कोई भी सूचना, यदि सर्किल प्रमुख/अधीक्षक/डाकपाल के कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचा दी जाए या भेज दी जाए, तो पर्याप्त रूप से दी गई मानी जाएगी।
- 21) बोलीदाता इस करार के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों के विधिवत लाइसेंसधारी चालक उपलब्ध कराएगा। बोलीदाता ऐसे प्रत्येक चालक का वेतन देगा। ऐसे सभी चालक बोलीदाता के सेवक माने जाएंगे, लेकिन वे इस करार के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा की जाने वाली सेवाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत डाक अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे। यदि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर बोलीदाता को लिखित रूप में यह सूचना दे कि उसके पास किसी चालक के आचरण से असंतुष्ट होने का कारण है, तो बोलीदाता शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त शिकायत किए गए चालक के स्थान पर अनुबंध के प्रयोजनार्थ दूसरा चालक उपलब्ध कराएगा तथा प्रतिस्थापित करेगा।
- 22) यदि बोलीदाता इस अनुबंध की समाप्ति से पूर्व मर जाता है, तो सरकार अपने विकल्प पर या तो इस अनुबंध को तुरन्त समाप्त कर सकती है या बोलीदाता के उत्तराधिकारियों या अधिकृत प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा अपेक्षित छः कैलेंडर माह से अनधिक अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करने के लिए कह सकती है।

- 23) उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर को अपने पूर्ण विवेक से इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए या रखे गए किसी भी मोटर वाहन को अस्थायी या स्थायी रूप से अस्वीकार करने तथा बोलीदाता से तदनुसार उपयोग न करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा, जिसे वह उक्त डाक सामग्री और मेल बैग या किसी ऐसे डाक अधिकारी को ले जाने के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त या असुरक्षित समझता हो, भले ही उसे पहले किसी खंड के तहत अनुमोदित किया गया हो और उसके द्वारा की गई ऐसी कोई अस्वीकृति बोलीदाता पर निर्णायक और बाध्यकारी होगी और ऐसी घटनाओं में बोलीदाता तुरंत ऐसे मोटर वाहनों के स्थान पर उसी प्रकार के अनुपयुक्त और असुरक्षित घोषित किए गए अन्य उपयुक्त और सुरक्षित मोटर वाहन प्रतिस्थापित करेगा, यद्यपि आवश्यक नहीं कि वे उसी मेक के हों, लेकिन ऐसे प्रतिस्थापित मोटर वाहन इसके खंड 3 में उल्लिखित प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन के अधीन होंगे।
- 24) उक्त अनुबंध अवधि के दौरान बोलीदाता को रु. ....पैसे के किराए के भुगतान पर उपयोग करने का अधिकार होगा। प्रति माह (\*जिसमें पानी और बिजली का शुल्क भी शामिल है) जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है, सरकार से संबंधित किसी भी भवन के साथ भूमि का भूखंड ..... अनुबंध के निष्पादन में बोलीदाता द्वारा नियोजित मोटर वाहनों के लिए गैरेज के रूप में और उक्त मोटर वाहनों को अच्छे कार्यशील क्रम में रखने के लिए एक कार्यशाला के रूप में और बोलीदाता के खर्च पर होगा, लेकिन इन प्रस्तुतियों में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बोलीदाता को उक्त परिसर या उसके किसी भाग पर कोई कानूनी हित प्राप्त हो, बल्कि बोलीदाता को केवल इस अनुबंध को निष्पादित करने के उद्देश्य से उक्त परिसर में प्रवेश करने और उसका उपयोग करने का अधिकार होगा और बोलीदाता अनुबंध की समाप्ति या पहले समाप्ति पर उक्त परिसर को अच्छे क्रम में खाली करके छोड़ देगा और कब्जा दे देगा।
- 25) बोलीदाता खंड 24 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उक्त परिसर के बोलीदाता द्वारा उपयोग से उत्पन्न सभी कार्रवाइयों, हानि, लागत, प्रभार, व्यय, मुकदमों, कार्यवाहियों, दावों और मांगों के खिलाफ सरकार को क्षतिपूर्ति देगा और उक्त या किसी भी आसन्न परिसर को सभी हानि या क्षति के लिए सरकार को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी कारण से सरकार को हुई हो या जिसमें बोलीदाता द्वारा इसके द्वारा दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग या पूर्वोक्त अधिकारों के उपयोग के कारण किसी भी तरह से आग लगना शामिल है, देय मुआवजे की राशि कार्यकारी अभियंता (सिविल), डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा लिखित रूप में निर्धारित की जाएगी (पूर्वोक्त विषय के अधीन) उक्त परिसर को किराए पर देने योग्य मरम्मत में रखेगा और बोलीदाता उक्त अनुबंध अवधि की समाप्ति पर उक्त परिसर को सभी फिक्सचर और परिवर्धन के साथ उसी अच्छी स्थिति और हालत में छोड़ देगा जैसा कि वे बोलीदाता के प्रवेश की तिथि पर थे। बोलीदाता उक्त परिसर या उसके किसी भाग पर ऐसा कोई कार्य या बात नहीं करेगा या होने नहीं देगा जिससे पड़ोस में किसी संपत्ति के स्वामियों और अधिभोगियों को परेशानी, उपद्रव या परेशानी हो या हो जाए। बोलीदाता सरकार या उसके एजेंटों या कर्मचारियों (जिनमें हमेशा विभाग के कार्यकारी अभियंता (सिविल) या उसके अधीनस्थ अधिकारी शामिल होंगे) को उक्त परिसर या उसके किसी भाग में उसकी स्थिति देखने के लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा।
- 26) जब कभी बोलीदाता के विरुद्ध इस अनुबंध के अंतर्गत या उससे किसी धनराशि के भुगतान का कोई दावा उत्पन्न होता है, तो सरकार बोलीदाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को आंशिक या पूर्ण रूप से विनियोजित करके ऐसी धनराशि वसूल करने और ऐसी प्रतिभूति का पूर्ण या आंशिक रूप बनाने वाले किसी भी सरकारी वचन पत्र आदि को बेचने का हकदार होगी। यदि प्रतिभूति अपर्याप्त है, तो शेष राशि या वसूली योग्य कुल राशि, जैसा भी मामला हो, किसी भी राशि से काट ली जाएगी जो उस समय देय हो या जो उसके बाद किसी भी समय डाक विभाग में सरकार के साथ इस या किसी अन्य अनुबंध के तहत बोलीदाता को देय हो सकती है। यदि यह राशि वसूली योग्य पूरी राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बोलीदाता मांग पर तुरंत और बिना किसी आपत्ति के सरकार को शेष बकाया राशि का भुगतान करेगा।

- 27) इस समझौते या इसके विषय या इस समझौते के तहत या इसके संबंध में पक्षों के संबंधित अधिकारों कर्तव्यों या दायित्वों से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न (जिसके निर्णय के लिए पहले अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है) को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, .....। सर्किल में नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी, या यदि उसका पदनाम बदल दिया जाता है, या उसका पद समाप्त कर दिया जाता है, तो उस अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए, जिसे अन्य कार्यों के अतिरिक्त या नहीं, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्य सौंपे गए हैं, चाहे ऐसे अधिकारी को किसी भी पदनाम से पुकारा जाए (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिकारी' कहा जाएगा)। ऐसी किसी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे यह करार संबंधित है और ऐसे सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और इस करार के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस करार की यह शर्त है कि ऐसे मध्यस्थ की, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, स्थानांतरण होने या अपना पद खाली करने या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या उक्त अधिकारी इस करार की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति संदर्भ को उसी स्तर से आगे बढ़ाने के हकदार होंगे जिस स्तर पर उसे उनके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। मध्यस्थ, समय-समय पर, पक्षों की सहमति से, निर्णय देने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

प्रत्येक और किसी भी संदर्भ पर, जैसा कि पहले कहा गया है, संदर्भ और निर्णय से संबंधित लागतों का आकलन एकमात्र मध्यस्थ के विवेक पर होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय होगा, जो ..... पर होगा या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे एकमात्र मध्यस्थ तय कर सकता है।

गवाहों के हस्ताक्षर  
(नाम और पता बड़े अक्षरों में)

1.

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पता  
(बड़े अक्षरों में)

2.

स्वामी/भागीदार/गठित अटॉर्नी/कंपनी द्वारा विधिवत  
अधिकृत के रूप में हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर  
(नाम और पता बड़े अक्षरों में)

1.

2.

अध्यक्ष की ओर से अधिकृत अधिकारी का नाम और  
हस्ताक्षर

**लॉग शीट (परिशिष्ट-17)**

कार्यालय \_\_\_\_\_

एमएमएस नियंत्रण कक्ष दूरभाष सं. \_\_\_\_\_

बेड़ा सं. \_\_\_\_\_ का नाम दिनांक \_\_\_\_\_

चालक के आरंभ में वाहन की निबंधन संख्या

मेल चपरासी \_\_\_\_\_

अनुसूची का नाम किलोमीटर रीडिंग \_\_\_\_\_ समापन पर

वैध पीयूसी प्रमाणपत्र की एक समान प्रति

Yes		
No		

यात्रा किए जाने वाले कार्यालय का नाम	वास्तविक आगमन		प्रस्थान		एक्सचेंज क्लर्क के हस्ताक्षर, मुहर के साथ	थैला		टिप्पणी
	घंटा	मिनट	घंटा	मिनट		प्राप्त	भेजा गया	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)

(यात्रा का अंत)

कुल निर्धारित माइलेज

वास्तविक निर्धारित माइलेज

गैर-निर्धारित यात्रा और डायवर्जन के मामले में उपयोग के लिए

अधिकृत अतिरिक्त माइलेज (छोटी यात्रा के लिए)  
वास्तविक अतिरिक्त माइलेज

चालक का हस्ताक्षर	मेल चपरासी का हस्ताक्षर	चेकिंग क्लर्क का हस्ताक्षर
		पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

## अनुलग्नक-VI

### पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौता

यह पूर्व-बोली पूर्व-अनुबंध समझौता (जिसे आगे सत्यनिष्ठा समझौता कहा जाएगा) 2024 के महीने की ..... तारीख को एक ओर, श्री ..... के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति, अधिकारी का पदनाम ..... मंत्रालय/विभाग ..... भारत सरकार (जिसे आगे "सेवा उपयोगकर्ता" कहा जाएगा, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति) प्रथम भाग के और मैसर्स ..... जिसका प्रतिनिधित्व श्री ..... द्वारा किया जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिसे आगे "सेवा प्रदाता/विक्रेता" कहा जाएगा, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति) द्वितीय भाग के।

चूंकि सेवा उपयोगकर्ता (भंडार/उपकरण/वस्तु का नाम) खरीदने का प्रस्ताव करता है और सेवा प्रदाता/विक्रेता भण्डार की पेशकश करने के लिए तैयार है/कर चुका है; और

चूंकि सेवा प्रदाता एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जो मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार गठित की गई है और सेवा उपयोगकर्ता भारत सरकार का एक मंत्रालय/विभाग/पीएसयू है जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से अपने कार्यों का निष्पादन करता है।

अब, इसलिए,

भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए, एक ऐसी प्रणाली का पालन करना जो निष्पक्ष, पारदर्शी हो और अनुबंध की अवधि से पहले, उसके दौरान और उसके बाद किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त हो, ताकि: -

सेवा उपयोगकर्ता को उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचकर परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित स्टोर/उपकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, और

सेवा प्रदाताओं को अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार में लिप्त होने से दूर रहने में सक्षम बनाया जा सके, उन्हें यह आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वत देने और अन्य भ्रष्ट व्यवहारों से दूर रहेंगे और सेवा उपयोगकर्ता पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

इसके पक्षकार इस सत्यनिष्ठा समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं और निम्नानुसार सहमत हैं: -

#### 1. सेवा उपयोगकर्ता की प्रतिबद्धताएं

- 1.1 सेवा उपयोगकर्ता वचन देता है कि सेवा उपयोगकर्ता का कोई भी अधिकारी, जो सीधे या परोक्ष रूप से अनुबंध से जुड़ा हुआ है, सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से सेवा प्रदाता से बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध या अनुबंध से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में, स्वयं के लिए या अनुबंध से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष के लिए कोई रिश्वत, विचार, उपहार, इनाम, एहसान या कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या कोई अन्य लाभ नहीं मांगेगा, कोई वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

1.2 सेवा उपयोगकर्ता, पूर्व-अनुबंध चरण के दौरान, सभी सेवा प्रदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, तथा सभी सेवा प्रदाताओं को एक जैसी जानकारी प्रदान करेगा तथा किसी विशेष सेवा प्रदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिससे अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में उस विशेष सेवा प्रदाता को कोई लाभ हो।

1.3 सेवा उपयोगकर्ता के सभी अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या उल्लंघन के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन के किसी भी पर्याप्त संदेह की रिपोर्ट उपयुक्त सरकारी कार्यालय को देंगे।

2. यदि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा उपयोगकर्ता को ऐसे अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह के पिछले कदाचार की रिपोर्ट की जाती है, तो पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्य होंगे और सेवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है, तो सेवा उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य कार्रवाई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के लेन-देन से वंचित किया जाएगा। ऐसे मामले में जब सेवा उपयोगकर्ता द्वारा जांच की जा रही हो, तो अनुबंध के तहत कार्यवाही रोकੀ नहीं जाएगी।

3. सेवा प्रदाताओं की प्रतिबद्धताएँ

सेवा प्रदाता अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध-पश्चात चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने या इसे सुरक्षित करने के लिए भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है: -

3.1 सेवा प्रदाता बोली प्रक्रिया से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े सेवा उपयोगकर्ता के किसी भी अधिकारी को, या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को बोली, मूल्यांकन अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के बदले में सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से कोई रिश्वत, उपहार, विचार, इनाम, एहसान, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रलोभन नहीं देगा।

3.2 सेवा प्रदाता यह भी वचन देता है कि उसने अनुबंध प्राप्त करने या अनुबंध प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या अप्रसन्नता दिखाने या करने से परहेज करने के लिए सेवा उपयोगकर्ता के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, उपकार, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, फीस, दलाली या प्रलोभन नहीं दिया है, देने का वादा नहीं किया है।

3.3\* सेवा प्रदाता एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे और भारतीय सेवा प्रदाता अपने विदेशी प्रिंसिपलों या सहयोगियों का खुलासा करेंगे।

3.4\* सेवा प्रदाता इस बोली/अनुबंध के संबंध में एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करेंगे।

3.5\* सेवा प्रदाता सेवा उपयोगकर्ता के समक्ष यह भी पुष्टि और घोषणा करता है कि सेवा प्रदाता रक्षा भंडार का मूल निर्माता/एकीकृतकर्ता/अधिकृत सरकारी प्रायोजित निर्यात इकाई है और उसने सेवा प्रदाता को अनुबंध प्रदान करने के लिए आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से सेवा उपयोगकर्ता या उसके किसी भी पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने, सुविधा प्रदान करने या किसी भी तरह से सिफारिश करने के लिए किसी भी

व्यक्ति या फर्म या कंपनी को नियुक्त नहीं किया है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, न ही किसी को कोई राशि का भुगतान किया गया है, भुगतान का वादा किया गया है या भुगतान करने का इरादा है। ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को किसी ऐसे हस्तक्षेप, सुविधा या सिफारिश के संबंध में।

- 3.6 सेवा प्रदाता, बोली प्रस्तुत करते समय या अनुबंध-पूर्व वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, अनुबंध के संबंध में सेवा उपयोगकर्ता के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए किसी भी भुगतान का खुलासा करेगा, प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है और ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का विवरण देगा।
- 3.7 सेवा प्रदाता बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ मिलीभगत नहीं करेगा।
- 3.8 सेवा प्रदाता किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- 3.9 सेवा प्रदाता, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से, या किसी अन्य को, व्यवसाय संबंध के भाग के रूप में सेवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यवसाय विवरणों के बारे में, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में निहित जानकारी शामिल है। सेवा प्रदाता उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का भी वचन देता है, ताकि ऐसी कोई भी जानकारी उजागर न हो।
- 3.10 सेवा प्रदाता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से कोई भी शिकायत देने से परहेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 3.11 सेवा प्रदाता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाएगा या उकसाने का कारण नहीं बनेगा।
- 3.12 यदि सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या सेवा प्रदाता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सेवा उपयोगकर्ता के किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि सेवा उपयोगकर्ता के किसी अधिकारी का कोई रिश्तेदार सेवा प्रदाता की फर्म में वित्तीय हित/हिस्सेदारी रखता है; तो निविदा दाखिल करते समय सेवा प्रदाता द्वारा इसका खुलासा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'रिश्तेदार' शब्द कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया जाएगा।
- 3.13 सेवा प्रदाता सेवा उपयोगकर्ता के किसी भी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पैसा उधार नहीं देगा या उधार नहीं लेगा या उसके साथ कोई मौद्रिक लेन-देन या लेनदेन नहीं करेगा। 4. पिछला उल्लंघन
- 4.1 सेवा प्रदाता यह घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत में किसी सरकारी विभाग के साथ इस समझौते के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई भी पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है, जो सेवा प्रदाता को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने का औचित्य सिद्ध कर सके।

4.2 सेवा प्रदाता इस बात से सहमत है कि यदि वह इस विषय पर कोई गलत बयान देता है, तो सेवा प्रदाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या यदि अनुबंध पहले ही दिया जा चुका है, तो ऐसे कारण से उसे समाप्त किया जा सकता है।

#### 5. बयाना राशि (सुरक्षा जमा)

5.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय, सेवा प्रदाता निम्नलिखित में से किसी भी साधन के माध्यम से सेवा उपयोगकर्ता के पास बयाना राशि/सुरक्षा जमा के रूप में \_\_\_\_\_ (आरएफपी में निर्दिष्ट की जाएगी) जमा करेगा:

(i) बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश ..... के पक्ष में

(ii) किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पुष्टि की गई गारंटी, जिसमें बिना किसी आपत्ति के और बिना कोई कारण पूछे तीन कार्य दिवसों के भीतर सेवा उपयोगकर्ता को गारंटीकृत राशि का भुगतान करने का वादा किया गया हो। सेवा उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

(iii) किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य साधन के माध्यम से (आरएफपी में निर्दिष्ट की जाएगी)।

5.2 सुरक्षा जमा पांच वर्ष की अवधि तक या सेवा प्रदाता और सेवा उपयोगकर्ता दोनों की पूर्ण संतुष्टि के लिए संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण समापन तक वैध होगी, जिसमें वारंटी अवधि भी शामिल है, जो भी बाद में हो।

5.3 सफल सेवा प्रदाता के मामले में क्रय अनुबंध में निष्पादन बांड से संबंधित अनुच्छेद में एक खंड भी शामिल किया जाएगा कि उल्लंघन के लिए प्रतिबंधों के प्रावधान, इस समझौते के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने का कोई कारण बताए बिना सेवा उपयोगकर्ता द्वारा इसे जप्त करने के निर्णय के मामले में निष्पादन बांड की जब्ती के लिए लागू होंगे।

5.4 सेवा उपयोगकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को बयाना राशि/सुरक्षा जमा पर इसकी अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।

#### 6. उल्लंघन के लिए मंजूरी

6.1 सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति (चाहे सेवा प्रदाता की जानकारी में हो या न हो) द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन सेवा उपयोगकर्ता को, जहाँ भी आवश्यक हो, निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई भी एक कार्रवाई करने का अधिकार देगा: -

(i) सेवा प्रदाता को कोई कारण बताए या कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध-पूर्व वार्ता को तुरंत रद्द करना। हालाँकि, अन्य सेवा प्रदाता(ओं) के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

(ii) बयाना राशि जमा (अनुबंध-पूर्व चरण में) और/या सुरक्षा जमा/निष्पादन बांड (अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद) पूरी तरह या आंशिक रूप से जप्त हो जाएगा, जैसा कि सेवा उपयोगकर्ता द्वारा तय किया जाएगा और सेवा उपयोगकर्ता को इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (iii) सेवा प्रदाता को कोई मुआवजा दिए बिना, यदि पहले से ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो उसे तुरंत रद्द करना।
  - (iv) सेवा उपयोगकर्ता द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों को वसूलना, तथा भारतीय सेवा प्रदाता के मामले में भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित प्राइम लेंडिंग दर से 2% अधिक ब्याज के साथ, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश के सेवा प्रदाता के मामले में एल.आई.बी.ओ.आर. से 2% अधिक ब्याज के साथ। यदि किसी अन्य स्टोर के लिए किसी अन्य अनुबंध के संबंध में सेवा उपयोगकर्ता से सेवा प्रदाता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उपरोक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।
  - (iv) यदि सेवा प्रदाता द्वारा अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बांड/वारंटी बांड दिया गया हो, तो उसे भुनाना, ताकि सेवा उपयोगकर्ता द्वारा पहले से किए गए भुगतान को ब्याज सहित वसूला जा सके।
  - (v) सेवा प्रदाता के साथ सभी या किसी अन्य अनुबंध को रद्द करना। सेवा प्रदाता ऐसे रद्दीकरण/निरसन के परिणामस्वरूप सेवा उपयोगकर्ता को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा और सेवा उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता को देय धनराशि से इस प्रकार देय राशि काटने का हकदार होगा।
  - (vi) सेवा प्रदाता को भारत सरकार की भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में कम से कम पाँच वर्षों की अवधि के लिए भाग लेने से रोकना, जिसे सेवा उपयोगकर्ता के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
  - (vii) अनुबंध को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाता(ओं) द्वारा किसी भी बिचौलिए या एजेंट या दलाल को इस समझौते के उल्लंघन में भुगतान की गई सभी राशियों को वसूलना।
  - (viii) ऐसे मामलों में जहां सेवा उपयोगकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा।
  - (ix) इस समझौते के उल्लंघन के लिए मंजूरी लगाने का कोई कारण बताए बिना सेवा उपयोगकर्ता द्वारा इसे जब्त करने के निर्णय के मामले में प्रदर्शन बांड की जब्ती।
- 6.2 सेवा उपयोगकर्ता इस समझौते के पैरा 6.1 (i) से (x) में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्रवाई को करने का हकदार होगा, सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (चाहे सेवा प्रदाता के ज्ञान के साथ या उसके बिना) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित किसी अपराध के कमीशन पर भी।
- 6.3 सेवा प्रदाता द्वारा इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के बारे में सेवा उपयोगकर्ता का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और निर्णायक होगा। हालाँकि, सेवा प्रदाता इस संधि के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र मॉनिटर(ओं) से संपर्क कर सकता है।

## 7. पतन खंड

- 7.1 सेवा प्रदाता यह वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या पीएसयू के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम मूल्य पर समान उत्पाद/प्रणाली या उप-प्रणाली की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि सेवा प्रदाता द्वारा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या पीएसयू को कम मूल्य पर समान उत्पाद/प्रणाली या उप-प्रणाली की आपूर्ति की गई थी, तो वही मूल्य, बीते समय के लिए उचित भत्ते के साथ, वर्तमान मामले पर लागू होगा और लागत में अंतर सेवा प्रदाता द्वारा सेवा उपयोगकर्ता को वापस कर दिया जाएगा, यदि अनुबंध पहले ही संपन्न हो चुका है।

## 8. स्वतंत्र मॉनिटर

- 8.1 सेवा उपयोगकर्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (मॉनीटरों के नाम और पते दिए जाने हैं) के परामर्श से इस समझौते के लिए स्वतंत्र मॉनिटर (जिन्हें आगे मॉनिटर कहा जाएगा) नियुक्त किए हैं।
- 8.2 मॉनिटरों का कार्य स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रूप से यह समीक्षा करना होगा कि क्या और किस सीमा तक पक्षकार इस संधि के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन करते हैं।
- 8.3 मॉनिटर पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों को तटस्थ और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेंगे।
- 8.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर को परियोजना/खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार है, जिसमें बैठकों के मिनट भी शामिल हैं।
- 8.5 जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते का उल्लंघन नज़र आता है या उसे ऐसा मानने का कारण होता है, तो वह सेवा उपयोगकर्ता द्वारा नामित प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।
- 8.6 सेवा प्रदाता स्वीकार करता है कि मॉनिटर को सेवा उपयोगकर्ता के सभी परियोजना दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का अधिकार है, जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। सेवा प्रदाता मॉनिटर को उसके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, उसके परियोजना दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच भी प्रदान करेगा। यही बात उपठेकेदारों पर भी लागू होती है। मॉनिटर सेवा प्रदाता/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ रखने के लिए अनुबंधात्मक दायित्व के तहत होगा।
- 8.7 सेवा उपयोगकर्ता मॉनिटर को परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगे।
- 8.8 मॉनिटर सेवा उपयोगकर्ता/सेवा प्रदाता द्वारा संदर्भ या सूचना की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर विभाग में सेवा उपयोगकर्ता/सचिव के नामित प्राधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर आए, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

9. जांच की सुविधा इस संधि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, सेवा उपयोगकर्ता या उसकी एजेंसियां सेवा प्रदाता की खाता बही सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की हकदार होंगी और सेवा प्रदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेगा और ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

10. कानून और अधिकार क्षेत्र का स्थान

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन और अधिकार क्षेत्र का स्थान सेवा उपयोगकर्ता का स्थान है।

11. अन्य कानूनी कार्रवाई

इस सत्यनिष्ठा समझौते में निर्धारित कार्रवाई किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है जो किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है।

12. वैधता

- 12.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इसके हस्ताक्षर की तारीख से होगी और 5 साल तक या सेवा उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता/विक्रेता दोनों की संतुष्टि के लिए अनुबंध के पूर्ण निष्पादन तक, वारंटी अवधि सहित, जो भी बाद में हो, तक विस्तारित होगी। यदि सेवा प्रदाता असफल होता है, तो यह सत्यनिष्ठा समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा।
- 12.2 यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

13. पक्ष इस सत्यनिष्ठा संधि पर ..... को ..... पर हस्ताक्षर करते हैं।

सेवा उपयोगकर्ता

सेवा प्रदाता

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग/मंत्रालय/पीएसयू सेवा प्रदाता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गवाह

गवाह

1.

1.

2.

2.

• विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों की भागीदारी के संबंध में सेवा उपयोगकर्ता की नीति के अनुरूप इन खंडों के प्रावधानों को संशोधित/हटाया जाना आवश्यक होगा।